# कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62 अंक : 08 पृष्ठ : 52 जून 2016 मूल्यः ₹22

## उन्नति की ओर ग्रामीण भारत

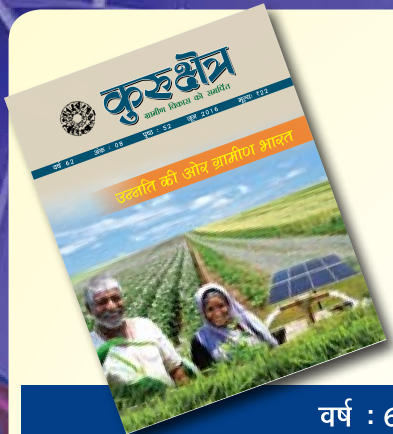


# कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 62★ मासिक अंक : 08★ पृष्ठ : 52 ★ज्येष्ठ–आषाढ़ 1938★जून 2016

प्रधान संपादक
**दीपिका कच्छल**

संपादक
**ललिता खुराना**

संपादकीय सहयोग
**महर सिंह**

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
**विनोद कुमार मीना**

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
**गजानन प्र. धोपे**

सज्जा
**आशीष कण्ठवाल**

| | | |
|---|---|---|
| मूल्य एक प्रति | : | 22 रुपये |
| विशेषांक | : | 30 रुपये |
| वार्षिक शुल्क | : | 230 रुपये |
| द्विवार्षिक | : | 430 रुपये |
| त्रिवार्षिक | : | 610 रुपये |

## इस अंक में

लिखी जा रही है गांवों के विकास की नई इबारत — आलोक कुमार — 5

किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य — उमाशंकर मिश्र — 9

'जन-धन' की नींव पर 'जनसुरक्षा' की इमारत — हरिकिशन शर्मा — 15

स्वच्छ भारत से होगा समग्र भारत का विकास — सिद्धार्थ झा — 19

बालिकाओं के बेहतर भविष्य की ओर — रंजीत — 23

गांवों में रफ्तार पकड़ता 'डिजिटल इंडिया' — बालेन्दु शर्मा दाधीच — 30

योग : स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति के लिए — डॉ. ईश्वर एन आचार्य, डॉ. राजीव रस्तोगी — 34

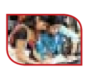
युवा वर्ग की बदलती तकदीर — प्रभांशु ओझा, जय प्रकाश पांडे — 36

ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य की बदलती तस्वीर — उमेश चतुर्वेदी — 40

गांवों में खुशहाली लाएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार — गायित्री दुबे — 46

समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान — .... — 49

**कुरुक्षेत्र** की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

**कुरुक्षेत्र** में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

# संपादकीय

बीते दो सालों में कितने ही नए सपने संजोए और उम्मीदों को समेटे नई योजनाएं शुरू की गई और उन्हें पूरा ही नहीं किया गया बल्कि कई योजनाओं में लक्ष्य से भी आगे बढ़कर उपलब्धियां हासिल की गई। हालांकि आंकड़ों की उपलब्धियों के साथ–साथ वास्तविक धरातल पर इन योजनाओं का कसौटी पर खरा उतरना अभी बाकी है। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि भारत के कायाकल्प का रास्ता गांवों के खेतों और पगडंडियों से होकर ही गुजरता है। इसीलिए सरकार का पूरा फोकस किसानों, ग्रामीण गरीबों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान पर है।

इसी कड़ी में वित्तीय समावेशन के जरिए सदियों से वंचित समाज के कमजोर वर्ग को बैंकिंग तंत्र से जोड़कर विश्व के आर्थिक इतिहास में वित्तीय छूआछूत मिटाने का एक नया अध्याय रचा गया है। 'जन–धन' की नींव पर जनसुरक्षा की इमारत खड़ी करने का जो सपना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संजोया वह आज अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और आधार से जुडी डीबीटी योजना के जरिए साकार हो रहा है। दो साल से भी कम समय में इस योजना के तहत करीब 22 करोड़ खाते खोले गए जोकि एक कीर्तिमान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडअप इंडिया हेतु पांच सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस वित्तवर्ष में वंचित वर्ग के उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 1 मई 2018 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सुदूर गांवों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2019 तक बाकी बची सभी 65,000 बस्तियों को सीधे सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (रूर्बन) मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत 300 ग्रामीण–शहरी कलस्टरों का विकास किया जाएगा।

सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजीटली साक्षर करने के लिए डिजिटल साक्षारता मिशन शुरू करने की योजना भी बनाई है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले तीन वर्षों में करीब छह करोड़ परिवारों के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा सके। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए दो योजनाओं–राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगुनी की जा सके। इसके लिए खेतों में सिंचाई की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' के नारे के साथ किसानों को प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यही नहीं साथ ही कृषि मंडियों को अढ़ातियों या मुनाफाखोरों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया है। उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से खेती के प्रति युवाओं में फिर से आकर्षण पैदा करना संभव होगा। पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तत्पर रहें, ऐसा प्रावधान पहली बार हुआ है। जहां 543 कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है वहीं इन केंद्रों के बीच राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पैदावार और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सब्सिडी की राशि अगर गांवों तक सही तरीके से पहुंचे तो गांवों की उन्नति का मार्ग आसान हो सकता है। बीपीएल परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सुविधा शुरू की गई है और वर्ष 2016–17 के बजट में 2000 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इसी मकसद से बजट में आधार कार्ड को भी विधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सब्सिडी का फायदा सीधे जरुरतमंदों के खाते में पहुंच सके।

शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य एक–दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता के साथ–साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होता है। स्वच्छता के इसी महत्व को वर्तमान सरकार ने समझा और 'स्वच्छ भारत' मिशन के साथ–साथ 'स्वच्छ विद्यालय' अभियान भी चलाया जिसके चलते आज देश भर के स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध हैं। गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में बदलती जरूरतों को समझते हुए 23 वर्षों के बाद सरकार नई शिक्षा नीति पर भी काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच के खिलाफ मुहिम के चलते आज देशभर में बड़ी तादाद में बने शौचालयों ने जहां महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है वहीं 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', सुकन्या समृद्धि और स्टैंडअप योजना' ने उन्हें शैक्षिक और आर्थिक मंच पर सुरक्षा प्रदान करने की पहल की है। उधर, पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने उन्हें राजनीतिक नेतृत्व के भी अपार अवसर दिए हैं।

सरकार का फोकस गांवों के विकास को रफ्तार देने के साथ–साथ शिक्षा और कौशल विकास पर भी है। 'स्किल इंडिया', मेक इन इंडिया' और स्टार्ट अप इंडिया योजनाएं भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भर के साथ–साथ हुनरमंद बनाने के लिए हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' जो वास्तव में स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है, का स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है। बच्चों के टीकाकरण के लिए 'मिशन इंद्रधनुष' भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत सरकार आवश्यक टीकों को समयबद्ध तरीके से लगाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने इसमें कुछ और टीकों को भी शामिल किया है, जो नए पनपते रोगों से निपटने में काफी प्रभावी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना आरंभ की है, जो लैंगिक अनुपात सही करने और लड़कियों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल से संबंधित है।

संक्षेप में, गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में नीतिगत पहल और बजटीय प्रावधान तो सरकार कर चुकी है, अब सवाल उन्हें सख्ती से लागू करने का है। साथ ही, जन–प्रतिनिधियों की ईमानदार भागीदारी से ही गांवों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

# लिखी जा रही है गांवों के विकास की नई इबारत

—आलोक कुमार

**गांवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने का जो स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, वर्तमान सरकार उस स्वप्न को साकार करने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अगर कहा जाए कि गांवों के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाल-फिलहाल में सरकार ने गांवों की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदलने के लिए जो अहम फैसले लिए हैं, उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए जरूरत है तो समर्पित जन-प्रतिनिधियों की, तभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गांवोन्मुखी विज़न को साकार रूप दिया जा सकता है।**

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ''भारत की आत्मा गांवों में बसती है।'' उनके "हिंद स्वराज" की अवधारणा के अनुसार गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का मानक आधार होने चाहिए। लेकिन आजादी के बाद से भारत की आत्मा के विकास की रफ्तार अपेक्षित नहीं रही। उनहत्तर साल के विकास मानक का सच है कि गांव के लोग खुद को अभिशप्त समझने लगे। गांव से उजड़ते भारतीय और तेजी से शहर में बसते चले गए। गांव जीवन को सुविधाप्रद बनाने के जरूरी संसाधनों से महरूम होते चले गए और अर्थव्यवस्था शहर–केंद्रित होती चली गई।

खासकर 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से गांवों के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता गया। गांव व शहर का फासला हिंदी के "भारत" व अंग्रेजी के "इंडिया" के अंदाज में बढ़ता गया। योजनाकारों के आकर्षण का केंद्र बने महानगरों को विकास कार्य से पाटा जाता रहा। रोजगार के संसाधन शहरों तक सीमित होते गए। जीविका के आधार को महानगरों में केंद्रित किया जाता रहा।

गांवों की स्थिति भयावह होती चली गई। अन्नदाता किसान परेशान होते चले गए। खेती अलाभकारी पेशे में तब्दील हो गई। युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो गई। खेत में अन्न उत्पादन के काम में लगने के बजाय युवकों को महानगरों की नौकरी ज्यादा पसंद आने लगी। विकट हालत में किसान जमीन बेचकर बच्चों शहरों में रोजी–रोटी के लिए भेजने लगे। बदलते भारत की तस्वीर में गांव रहने योग्य नहीं बचे। नीति–नियंताओं ने बिगड़ते हालात में हस्तक्षेप करने और समय रहते उसे संवारने की परवाह नहीं की। अंततः बिजली–पानी और रोजगार के साधनों से महरूम गांव का जीवन नारकीय होता चला गया। सच्चाई है कि विकास की दृष्टि से भीषण उपेक्षा के बावजूद आज भी

देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांव केंद्रित है। कृषि व छोटे कारोबार से विमुख होकर रोजगार की तलाश में युवा ग्रामीण आबादी भले ही शहरों की ओर भाग रही है मगर उसकी आंखों में गांव लौटने का सपना सदा बसता रहता है। वक्त की मजबूरियों ने सपने को धुंधला करने का काम किया। गांव में मौजूद माता–पिता या पैतृक संपदा को फिर संवार लेना और वापस लौट आने का सपना पूरा कर पाना दूभर होता गया। हालात को उलटने के लिए सरकार की चुनौती बड़ी है।

अब इस सपने को पंख लगाने का काम चल रहा है। गांवों की सुध लेते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले दो वर्षों में देश का एक भी गांव बिजली की रोशनी की चकाचौंध से दूर नहीं रहेगा। **पहली मई 2018 तक देश के सौ प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे। इसके अलावा गांवों के उत्थान के लिए बड़ी योजनाओं को मूर्तरूप दिया जा रहा है। मौजूदा वित्तीय बजट में 655 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज' अभियान नामक योजना की शुरुआत की जा चुकी है।** दो साल पहले केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस योजना को सबसे धूमधाम से प्रचारित किया गया उसका सीधा संबंध गांव से था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को न सिर्फ अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के जयापुर गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया। बल्कि ऐसा करके उन्होने साथी सांसदों को अपने इलाके में आदर्श गांव बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह आदर्श गांव योजना का सूत्रपात हुआ और यह तय किया गया कि हर संसदीय क्षेत्र का कम से कम एक गांव ऐसा जरूर होगा जिसमें विकास की गंगा कुछ इस तरह बहेगी कि इलाके के बाकी गांव उसकी नकल करने को प्रेरित होंगे। हालांकि एक गांव के विकास का ध्येय बनाते वक्त इसकी इसीलिए आलोचना भी हुई चूंकि इससे बाकी गांवों के साथ शासन व्यवस्था का पक्षपात झलकता है। क्योंकि शासन व्यवस्था पर एक नहीं देश के सभी गांवों को 'आदर्श' बनाने का दायित्व होना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना से इतर 'आ अब चलें गांव की ओर' की बात हो रही है।

मौजूदा वित्तीय बजट का पूरा सार ही गांवों को नवजीवन देना है। बजट ऐलानों से साफ है कि सरकार का फोकस गांवों के विकास को रफ्तार देने के साथ शिक्षा और कौशल विकास पर है। खेती और ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित बजट में ग्रामीण परियोजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना किया जाए। इसके लिए 'प्रत्येक बूंद, खेत के लिए' का नारा दिया गया है। खेतों में सिंचाई की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। कृषि मंडियों को अढ़ातियों या मुनाफाखोरों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया है। उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से खेती के प्रति युवाओं में फिर से आकर्षण पैदा करना संभव होगा। पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इसके लिए कृषि सिंचाई योजनाओं को मिशन मोड में ले लिया गया है। कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तत्पर रहें, इसका पहली बार प्रावधान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है। इसके साथ 543 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

गांव के विकास के साथ केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 33,097 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 412 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष भी शामिल है। ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए 223 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक के जरिए किया जाना है। यह बताता है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गांवोन्मुख 'विज़न' को आगे बढ़ाने का काम किया है।

किसानों के लिए बजट में 25 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे पर ज्यादा निवेश हो। बजट में सिंचाई योजना के लिए 17000 करोड़ रुपये का प्रावधान बताता है कि सरकार खेती को लाभकारी बनाने के प्रति दृढ़निश्चयी है। खेती में किसानों की मदद के लिए नाबार्ड को बीस हजार करोड़ रुपये का सिंचाई फंड दिया गया है, तो कृषि के लिए अलग से 35984 करोड़ रुपये का फंड है, जबकि गांव में मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिहाज से मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब बनवाने की भी घोषणा की गई है। इस साल के बजट में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

सब्सिडी की राशि अगर गांवों तक सही तरीके से पहुंचे तो गांवों के उत्थान का मार्ग आसान बन सकता है। बीपीएल परिवारों के लिए रसोई गैस कनेक्शन सुविधा का सूत्रपात हुआ है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इससे वर्ष 2016–17 में लगभग एक करोड़ पचास लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इस लिहाज से बजट में आधार कार्ड को विधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित

करने की कोशिश है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरुरतमंदों के खाते में पहुंच सके। गांवों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। लक्ष्य तय किया गया है कि वर्ष 2019 तक बाकी बची सभी 65 हजार बस्तियों को सीधे सड़कों से जोड़ लिया जाए।

गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (रूर्बन) मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत 300 ग्रामीण–शहरी कलस्टरों का विकास किया जाएगा जिसमें किसानों के लिए आधारभूत संरचना जैसे कृषि प्रसंस्करण, कृषि बाजार को सुलभ कराना, गोदाम एवं वेयरहाउसों को बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त गांवों में स्वच्छता अभियान, पाईप जलापूर्ति, ठोस और तरल जल प्रबंधन, गली–नालियों को पक्का करना, सड़क लाईट, शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य गांवों से ग्रामीण संपर्क का विकास, सड़क सुविधा, सब्सिडी वाली एलपीजी गैस, मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल व्यय से बचाव के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीस हजार रुपये तक अतिरिक्त टॉपअप पैकेज का प्रावधान है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री की जनऔषधि योजना के तहत वर्ष 2016–17 में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए तीन हजार दवा की सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंडअप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी है। इस प्रयोजन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। गांव व समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों की सुध लेते हुए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती पर उद्योग–धंधों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति केंद्र बनाया है। छोटे कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के ऋण दिए जा रहे हैं। पिछले बजट में यह राशि महज एक लाख करोड़ तक सीमित थी।

बदलते वक्त के साथ हमारा नजरिया और शिक्षा का तरीका भी बदलना जरूरी है। विशेषकर ग्रामीण भारत के बदलाव से ही हम समृद्ध देश के रूप में उभरकर सामने आ पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले तीन वर्षों में करीब छह करोड़ अतिरिक्त लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा सके। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए दो योजनाओं–राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे लाभान्वितों को जोड़ने का काम जटिल तो जरूर है लेकिन उसे किए बिना भविष्य को संवारना असंभव है।

फिलहाल 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ घरों में कंप्यूटर नहीं हैं। इन परिवारों को साथ लिए बिना 'डिजिटल इंडिया' का संकल्प पूरा करना संभव नहीं है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर, टेबलेट, स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरण और इंटरनेट के उपयोग की जानकारी हो। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र की जरूरत का ख्याल करते हुए 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार की ढाई लाख गांवों को 2019 तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने की योजना है जिससे किसान भी वैश्विक बाजार, घरेलू बाजार, विभिन्न जिसों के बाजार भाव, कृषि योजना एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां शीघ्र प्राप्त कर सकें। इस बजट में कृषि उत्पादों की ऑनलाईन ट्रेडिंग से प्रावधान के कृषि क्षेत्र में आय संवृद्धि के रास्ते खुले हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाईन खरीद–ब्रिकी का ज्ञान कृषि उत्पादन में क्रांति ला सकता है। 14 अप्रैल, 2016

से राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत इलेक्ट्रॉनिक मंडी या ई–मंडी की शुरूआत कर दी गई है।

ग्रामीण विकास और विकास का रास्ता सभी समुदायों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण और कौशल विकास के लिए "उस्ताद" योजना शुरू की गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्किल इंडिया' के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य युवा आबादी का समुचित लाभ उठाना है। बजट में देशभर में 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। इन कार्यक्रमों के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपये की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव है। इसके जरिए तीन वर्ष में एक करोड़ हुनरमंद तैयार किए जाने हैं जिनकी रोजगार बाजार में सीधी खपत होगी और सेवा के क्षेत्र को विस्तार देना मुमकिन हो पाएगा। इसके लिए सरकार ने उद्योग जगत और शिक्षाविदों के एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है।

आम बजट में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' का भी जिक्र है। वित्तमंत्री ने कहा कि सीमा एवं उत्पाद शुल्क से जुड़ा ढांचा 'मेक इन इंडिया' अभियान की दिशा में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अनेक खास कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं कलपुर्जों और कुछ अन्य विशेष वस्तुओं पर देय सीमा एवं उत्पाद शुल्क में उपयुक्त बदलाव करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि घरेलू उद्योग की लागत घटायी जा सके और प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर की जा सके। मेक इन इंडिया के बड़े प्रोजेक्टों को शहरों से दूर घरेलू व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में ले जाने की बात की गई है।

सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर का नाम बदल कर स्वच्छ पर्यावरण उपकर करते हुए कोयले, लिग्नाइट व पिट पर उपकर को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ा कर 400 रुपये प्रति टन करने का प्रस्ताव किया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण पहलों के वित्तपोषण के लिए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 2015–16 हेतु 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन किया था। स्वास्थ्य के लिहाज से इसका फायदा ग्रामीण आबादी को होने वाला है जो खाना व पकवान बनाने के लिए ईंधन के लिए कोयले के इस्तेमाल से विमुख होंगे।

खाद्य, उर्वरक व पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल सब्सिडी आगामी वित्तवर्ष 2016–17 में चार प्रतिशत से भी ज्यादा घटकर लगभग 2,31,781.61 लाख करोड़ रुपये रहना अनुमानित है। यह सब्सिडी बिल 2015–16 के लिए 2,41,856.58 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था। सरकार ने आगामी वित्तवर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए 1,34,834.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि मौजूदा वित्तवर्ष के संशोधित अनुमानों के तहत यह राशि 1,39,419 करोड़ रुपये है।

वित्तवर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन 80 लाख रुपये और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को औसतन 21 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह आवंटन गत पांच वर्षों में किए गए आवंटन से 228 फीसदी अधिक है। इस आवंटन से ग्राम पंचायतों को निश्चित रूप से अपनी मर्जी के मुताविक कार्य करने की कुछ आजादी मिलेगी।

आज भारत में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 28 लाख 18 हजार से अधिक है। यह दुनिया में किसी भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या से बड़ा आंकड़ा है। कहना न होगा कि इस बढ़े हुए वित्तीय आवंटन की अच्छाई–बुराई तय करने का दारोमदार फिलहाल 2,39,491 ग्रामसभाओं पर आ गया है। जाहिर तौर पर वर्तमान सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र हेतु वित्तीय आवंटन में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं।, योजनाएं और लक्ष्य भी तय हैं। ऐसे में अब वास्तविक जिम्मेदारी ग्रामसभा और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के कंधों पर आ गई है। अब उन्हें उनमें गांव के विकास की लगन लानी जरूरी हैं, उन्हें सक्षम बनाना जरूरी है।

गांव के विकास की इबारत लिखने के लिए विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की जरूरत का ख्याल किया जाता रहा है। इसके लिए समय पर पंचायत चुनाव निष्पादित कराने के साथ देश की आधारभूत संरचना का अवलंब बनी सहकारी संस्थाओं को सुदृढ करने की जरूरत है। सहकारी संस्थाओं के जरिए ही देश ने हरित एवं श्वेतक्रांति का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जरूरी है कि सहकारी संस्थाओं को सियासत का अड्डा बनने से रोका जाए। समय के साथ सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक भावना को मजबूत किया जाए और उनके जरिए ग्रामीण व कृषि विकास की रफ्तार को गति दी जा सके। मौजूदा सरकार के इरादे और ग्रामीण विकास की तय की गई अवधारणा पर दृढ़ता के साथ चला गया तो वह वक्त दूर नहीं जब गांव में 'हरियाली' और 'खुशहाली' तो आएगी ही, साथ–साथ तकनीकी के सहारे गांव 'वैश्विक गांव' में तब्दील हो तरक्की के पथ पर अग्रसर होंगे।

**(लेखक 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट मीडिया के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े रहे। वर्तमान में 'सन स्टार' (राष्ट्रीय दैनिक) दिल्ली के स्थानीय संपादक हैं।)**
**ई–मेलः aloksamay@gmail.com**

# किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य

—उमाशंकर मिश्र

**संभवतः राष्ट्रीय कृषि बाजार 'नाम' को 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का एक प्रमुख घटक माना जा रहा है। साथ ही, खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल पर जोर भी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा। सरकार की बजट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने की पहल से भी फलों और सब्जियों की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।**

देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में, अगर केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात कह रही है, तो इसके पीछे कौन से आधार हैं, इसकी पड़ताल करना जरूरी हो जाता है।

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है। लेकिन, पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार–चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केंद्र में रहे हैं।

ऐसे में नकारा नहीं जा सकता कि वैश्विक–स्तर पर आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कृषि नीतियां मुख्य रूप से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के किफायती उपयोग और बाजार या फिर मौसमी बदलाव से जुड़े जोखिम से निपटने वाले तंत्र पर केंद्रित होनी चाहिए। वर्ष 2014–15 में

मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी। हालांकि, पशुपालन के क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से काफी हद तक इस कमी की भरपाई हो गई। मगर, 2015–16 में एक बार फिर मानसून ने धोखा दिया और इस बार इसमें 14 प्रतिशत की कमी देखी गई। 1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं–कहीं बाढ़ ने भी फसलों को प्रभावित किया। जाहिर है, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है।

प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियां खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ दो प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ डेढ़ फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य की सरकारें बराबर–बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। यह योजना इस साल जून से शुरू होने वाले खरीफ से लागू हो जाएगी। इस पर इस साल 17,600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केंद्र ने 8,800 करोड़ रुपये इस योजना के लिए मंजूर किए हैं। इतनी ही रकम राज्य सरकारें देंगी।

फिलहाल दो फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं। वर्ष 1999 में लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और 2010 में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। पुरानी योजना में प्रीमियम रेट 15 प्रतिशत है, लेकिन ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में यह 57 प्रतिशत तक हो जाता है। इसलिए सिर्फ 23 प्रतिशत किसानों तक ही इसका फायदा पहुंच सका। नई योजना में पुरानी योजना की विशेषताओं को शामिल करके विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की गई है।

सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर तो कीमतों पर भी पड़ता है; महंगाई बढ़ती है। दिसंबर 2015 में बीते साल की अपेक्षा थोक मूल्य सूचकांक अस्सी प्रतिशत अधिक था। दालों एवं सब्जियों के दामों में क्रमशः 56 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ अन्य चीजें, जिनका आयात करने के अलावा विकल्प सीमित हैं, उनमें भी तेजी रही है। शेष मदों में उस तरह की तेजी नहीं है, जैसी 2005–2013 के दौरान देखने को मिल रही थी। इसका एक कारण अनाज का पर्याप्त भंडार होने के साथ–साथ वैश्विक–स्तर पर कमोडिटी के दामों में गिरावट भी रही है। पिछले दो सालों के दौरान इसमें 25 फीसदी की गिरावट देखी गई। इससे पहले भी 1990 के दशक के मध्य से वर्ष 2000 के मध्य तक कृषि के हालात बहुत अच्छे नहीं थे और ग्रामीण व्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। कृषि आमदनी से जुड़े एक विश्लेषण (चंद ईटी, एएल, 2015) के मुताबिक 1993–94 से 2004–05 का दशक कृषि उत्पादन एवं किसानों की बेहतरी के लिहाज से निराशाजनक बताया गया है। इस अध्ययन में पाया गया कि 1983 से 1993–94 के बीच किसानों की आय से जुड़ी विकास दर 2.7 से घटकर दो प्रतिशत रह गई थी। वहीं, 1995–2004 के दौरान किसान आत्महत्या की संख्या में सत्तर प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसे मीडिया ने 'कृषि संकट' का नाम दिया। हालांकि, 2004–05 से 2011 के बीच किसानों की आय की वार्षिक विकास दर बढ़कर 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। किसानों की आत्महत्याओं में कमी आई। इस दौरान कृषि उत्पादन में चार प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही थी और कृषि व्यापार की शर्तों में भी सुधार देखा जा रहा था। इस औसत बढ़ोतरी का एक

कारण किसानों का खेती से पलायन भी माना जाता है। जाहिर तौर पर गैर–कृषि रोजगार की ओर पलायन से किसानों की संख्या कम होना इसके लिए जिम्मेदार रहा होगा। समन्वित रूप से ये सभी कारण किसानों की आय में इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन, इसे स्थायी बढ़ोतरी मानना बड़ी भूल होगी। ऐसे में इन संकेतकों को बहुत आशावादी नहीं कहा जा सकता।

एक बार फिर विभिन्न राज्यों में सूखे की ताजा स्थिति को देखें, तो न केवल कृषि, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खतरे में घिरी हुई नजर आती है। लेकिन, यह स्थिति सूखे के कारण फसलोत्पादन में कमी होने से ही नहीं बनी है। बल्कि ग्रामीण आमदनी में गिरावट का कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, निवेश के लिए लचर घरेलू माहौल भी है। निर्यात की जाने वाली फसलें, जैसे–बासमती चावल, कपास और रबड़ जैसे उत्पादों की कीमतें भी वैश्विक मंदी के कारण कम हुई हैं।

इन तमाम संदर्भों को देखें, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कृषि एवं किसानों के कल्याण से जुड़ी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं आखिर किस तरह की हैं? वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा पुनर्गठित नीति आयोग का एक दस्तावेज इस बारे में बहुत कुछ कहता है। इसमें कृषि से जुड़े पांच मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया हैः–

- उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी प्रयास
- किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने की नीतियां
- पट्टे पर भूमि देने की नीतियों में सुधार
- प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत के लिए तंत्र का निर्माण
- पूर्वोत्तर राज्यों में हरितक्रांति के प्रसार के लिए पहल।

केंद्र सरकार की योजनाओं में इन बातों की झलक देखने को मिलती है। उत्पादकता बढ़ाने, पानी के किफायती उपयोग, बीज, मिट्टी की सेहत, फर्टिलाइजर से जुड़ी सरकारी नीतियां काफी हद तक इस दिशा में बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि, इनके दूरगामी परिणामों को समझने में अभी वक्त लग सकता है।

विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर फोकस पूर्व योजनाओं में भी शामिल रहा हैं। विभिन्न मदों में किसानों एवं ग्रामीण आबादी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाने की जो तेजी वर्तमान सरकार दिखा रही है, वह स्पष्ट रूप से पिछले प्रयासों से अलग है। साथ ही डीबीटी को लेकर एक स्पष्ट पहल भी नजर आती है।

यह सही है कि कृषि बाजार में सुधार से किसानों की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी ओर, पारदर्शी एवं जरुरतमंदों तक पहुंच होने के कारण डीबीटी योजना एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम के रूप में उभरकर सामने आ सकती है। लेकिन, राज्यों के सकारात्मक सहयोग के बिना डीबीटी की सफलता संदिग्ध लगती है। इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्यों के संस्थागत ढांचे का उपयोग किए बिना इस पहल को अंजाम देना चाहती है। यह माना जा सकता है कि इस तरह की पहल से जरुरतमंदों के हक पर भ्रष्टाचार की दीमक नहीं लग पाएगी। लेकिन, एक जोखिम यह भी है कि राज्यों का संस्थागत सपोर्ट सिस्टम ऐसे में और भी लचर हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से देखें, तो क्रेडिट, पशुधन एवं कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं। संस्थागत क्षरण किसी भी तरह से दीर्घकालीन एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

जहां तक बात किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार तैयार करने की है, तो इसे एक बेहतर पहल कहा जा सकता है। इसी के तहत 14 अगस्त, 2015 को 'नाम' को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (नाम) सबसे विवादास्पद और अब खत्म हो चुके नेशनल स्पॉट मार्केट का एक आधिकारिक रूप है। यह देशभर में लागू एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। 'नाम' की छतरी के नीचे सभी वर्तमान एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। नाम पोर्टल सभी एपीएमसी से जुड़ी जानकारियां देने वाली सिंगल विंडो सर्विस है। फिलहाल आठ राज्यों की 21 मंडियों को जिंसों के ऑनलाईन कारोबार के लिए इससे जोड़ा गया है। इस पर कमोडिटी की आवक, कीमतें, खरीद और बिक्री से जुड़े तथ्यों और खरीदारों के ऑफर समेत कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी।

अभी तक भारत में कृषि उत्पादों का बाजार बिखरा हुआ है। हमारे यहां कृषि बाजार का संचालन एग्री–मार्केटिंग रेगुलेशन के अनुसार राज्यों द्वारा होता है। इसके तहत राज्य को कई मार्केटिंग एरिया में विभाजित किया जाता है और इनमें से हर एक का संचालन एक अलग कृषि उत्पाद समिति करती है। एपीएमसी इस मामले में अलग–अलग फीस के साथ अपने नियम भी थोपती हैं, जिससे किसानों को जूझना पड़ता है। एक राज्य के भीतर इस तरह के बाजार के विभाजित होने से कृषि उत्पादों की मुक्त आवाजाही बाधित होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर है, लंबे समय से कुछ स्वार्थी तत्व इस तरह के नियमों का हवाला देकर किसानों का शोषण करते रहे हैं। 'नाम' इन्हीं चुनौतियों का सामना करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जहां किसान अपने उत्पादों की लिस्टिंग कर सकते हैं और देशभर के व्यापारी बोली लगाकर उन उत्पादों के बेहतर दाम देकर किसानों से उसे खरीद सकते हैं। ऐसे में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि,

# किसानों की समृद्धि हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** – बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में लागू की गई है। फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए एक मौसम, एक दर होगी–जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी– खरीफः सिर्फ 2 प्रतिशत – रबीः सिर्फ 1.5 प्रतिशत। फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर होगी। 90 प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत आपदा से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के मामले में सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है। पहले 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होने पर जो मुआवजा मिलता था, वह अब 33 प्रतिशत पर प्राप्त होगा। भुगतान की राशि को भी डेढ़ गुना कर दिया गया है। अतिवृष्टि से खराब हुए, टूटे और कम गुणवत्ता वाले अनाज का भी पूरा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों को पहले जहां मात्र 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2010–15 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 33580.93 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि वर्ष 2015–2020 के लिए राशि बढ़ाकर 61,219 करोड़ रुपये कर दी गई है।

**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** – सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए और हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं। इस योजना का लक्ष्य सभी खेतों के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना और प्रति बूंद अधिक फसल से जल का सदुपयोग बढ़ाना है। सभी जनपदों के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों को जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए राज्यों को राशि दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वेबसाइट भी शुरू की गई है। यही नहीं मनरेगा के तहत वर्ष 2016–17 में वर्षापोषित क्षेत्रों में 5 लाख तालाबों और कुंओं की व्यवस्था भी की जाएगी।

**मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** – फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त संस्तुति, पोषक तत्वों की मात्रा का प्रयोग करने और मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के उद्देश्य से देश के सभी 14 करोड़ किसानों को दो वर्ष में सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत उर्वरक कम्पनियों के 2 हजार मॉडल खुदरा केन्द्रों को 3 वर्ष में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम'' को प्रभावी बनाने तथा मार्च 2017 तक 14 करोड़ जोतों की मिट्टी की सेहत जांचने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों का लाभ बढ़ सके। खेती हेतु उर्वरकों की समय पर व सही कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में शहर के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए नई नीति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

**परंपरागत कृषि विकास योजना** – जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को आरंभ किया गया है। बजट 2016–17 में योजना के माध्यम से 3 साल में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास हेतु तीन वर्षों के लिए वर्ष 2015–16 में 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जिससे जैविक खेती की योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मनरेगा के तहत जैविक खाद के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गद्दों का निर्माण किया जाएगा।

**कृषि वानिकी और नीमलेपित यूरिया** – राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम हेतु पहली बार 2016–17 के बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान किया गया है। इससे 'मेड़ पर पेड़' अभियान को गति मिलेगी। यही नहीं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अब देश में नीम कोटेड यूरिया ही मिलेगा। इससे किसानों को 100 किलोग्राम की जगह 90 किलोग्राम यूरिया का ही उपयोग करना पड़ेगा जिससे लागत मूल्य में कमी आएगी तथा यूरिया का गलत उपयोग भी अब नहीं हो पाएगा।

**राष्ट्रीय कृषि बाजार** – किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म शुरू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2015 को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर ई–ट्रेडिंग प्लेटफार्म शुरू किया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सितम्बर, 2016 तक 200 मंडियों, मार्च 2017 तक अन्य 200 मंडियों एवं मार्च 2018 तक शेष सभी मंडियों को सामन्य ई–मार्केट प्लेटफार्म पर जोड़ दिया जाएगा।

**किसनों के लिए मोबाइल एप की शुरुआत** – किसानों की सुविधा के लिए चार मोबाइल एप शुरू किए गए हैं जो www.mkisan.gov.in के अलावा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

**किसान सुविधा –** किसानों को घर बैठे कृषि संबंधित सूचनाएं जैसे मौसम, बाजार भाव, फसलों की बीमारियां व कीट की पहचान व उपचार, कृषि विशेषज्ञ से सलाह।

**पूसा कृषि –** कृषि एवं बागवानी की उन्नत किस्में तथा नवीनतम तकनीकों की जानकारी।

**एग्री मार्केट –** 50 किमी. के दायरे में मंडियों में बाजार भाव की जानकारी।

**फसल बीमा –** फसल बीमा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध।

**पशुपालन, डेयरी और चिकित्सा शिक्षा**

उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' प्रारम्भ किया गया है। दो नए राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत में) भी स्थापित किए जा रहे हैं। इनके जरिए देसी नस्लों को संरक्षित करने व उनके विकास के लिए प्रयास किया जाएगा।

पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़ाकर 46 की गई है। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1332 किया गया है। पशु चिकित्सा स्नातकोत्तर में डेढ़ गुना की वृद्धि की गई। पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी डेढ़ गुना सीटें बढायी गई। नए बजट में अलग से चार नई परियोजनाएं– 'पशुधन' संजीवनी', 'नकुल स्वास्थ्य–पत्र', ई–पशुधन हाट  शुरू की गई हैं और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र के लिए 850 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

**मत्स्य पालन –** मात्स्यिकी में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में 'नीली–क्रांति' का आह्वान किया है इस क्षेत्र की सभी योजनाओं को समेकित करते हुए, 'नीली क्रांति' का सृजन किया गया है। अंतर्देशीय व समुद्री मात्स्यिकी को 'नीली–क्रांति योजना' में समेकित करते हुए सम्पूर्ण मात्स्यिकी सेक्टर के एकीकृत विकास को सुगम बनाया गया है। 'नीली क्रांति' में विशेष रूप से जलकृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जलीय संसाधनों से मछली उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

**कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा –** पूर्वोत्तर भारत की अपार क्षमताओं को पहचानते हुए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छह नए कॉलेज खोले गए। इससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या में पिछले दो वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

- इसी प्रकार बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अंतर्गत 4 नए कॉलेज खोले गए।
- पूसा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर 68 साल में पहली बार बरही, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की स्थापना की गई एवं असम में भी स्थापना की जा रही है।
- वर्ष 2015 में भाकृअनुप द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है।
- पूर्वी भारत में दूसरी हरितक्रांति में तेजी लाने हेतु बिहार में देश के दूसरे 'राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र' की स्थापना।
- गंगटोक, सिक्किम में देश के सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

**कृषि विज्ञान केन्द्र –** देश में 642 कृषि विज्ञान केन्द्र जिला–स्तर पर कार्यरत हैं और ग्रामीण जनपदों में ये केन्द्र कृषि विकास में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में भी ये केन्द्र तकनीकी समर्थन और सामूहिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत हैं।

**मेरा गांव, मेरा गौरव –** ''प्रयोगशाला से खेत तक'' प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों से संपर्क को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। प्रत्येक वैज्ञानिक समूह द्वारा एक गांव की पहचान कर किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं परामर्शी सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

**दीनदयाल अन्त्योदय मिशन –** ये मिशन सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा मे ग्रस्त प्रत्येक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम करेगा। स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का भी गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी।

मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का और 2019 तक देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता गांवों के साथ–साथ कृषि विकास में भी मददगार होगी और किसान वर्ग इससे लाभन्वित होगा। ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने की बात हो रही है, जिसके तहत तीन साल के भीतर छह करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा। 'नाम' की छतरी के नीचे किसानों को लाने के लिए इस तरह की पहल उपयोगी साबित हो सकती है।

बगैर एपीएमसी कानून की व्यवस्था वाले राज्यों को एक समान नया मंडी कानून लाना होगा, तभी ऑनलाइन कारोबार किया जा सकेगा। जिन राज्यों में एपीएमसी कानून है, उन राज्यों से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वे कानून में जरूरी संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई–कृषि बाजार का लाभ किसानों को मिले।

इस बार बजट में ग्रामीण भारत को खासी तरजीह दी गई और ग्रामीण विकास के लिए 87 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत गांवों में पांच लाख कुंए और तालाब खुदवाए जाएंगे। हालांकि, वर्तमान सूखे के संकट को देखते हुए मनरेगा के आवंटन को काफी कम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण सड़कों के हालात सुधरने में मदद मिल सकती है। इस तरह के ढांचागत संसाधनों के निर्माण से रोजगार सृजन भी होता है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा हो सकेगा। किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। जबकि, बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आसमान पर पहुंची दाल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि, यह रकम दलहन उत्पादन बढ़ाने और प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी राहत भरा है। सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लांच करेगी। इसके तहत हरेक परिवार को एक लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है। सरकार मार्च 2017 तक सस्ते राशन की तीन लाख नई दुकानें खोलेगी। जाहिर तौर पर ग्रामीण संकट के दौर में इस पहल से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

इन सबके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से खाद बनाने की योजना भी उपयोगी कही जा सकती है। किसानों को दिए जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी मिट्टी की सेहत की जानकारी देने में कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते किसानों तक इसकी पहुंच बनी रहे। लेकिन, सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों के किफायती उपयोग के बारे में सीखना होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी, उर्वरक और बिजली के युक्तिसंगत इस्तेमाल की बेहद सख्त जरूरत है। इस बात को नीतियों में शामिल करना और उस पर सख्ती से अमल करना बेहद जरूरी है, तभी कृषि, किसान और टिकाऊ खेती का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लेकिन, यह तभी संभव हो सकता है, जब राजनीति से प्रेरित बहस में न पड़कर सूखा पीड़ितों की मदद के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए संवेदनशील पहल की जाए।

**(लेखक कृषि नीति विश्लेषक एवं मीडिया शोधार्थी हैं।)**
**ई–मेलः umashankarm2@gmail.com**

# ‘जन-धन’ की नींव पर ‘जनसुरक्षा’ की इमारत

—हरिकिशन शर्मा

**वित्तीय समावेशन के लिए ‘जन-धन’ की नींव पर ‘जनसुरक्षा’ की इमारत खड़ी करने का जो सपना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संजोया वह अब अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में साकार हो रहा है। वित्तीय समावेशन की धुरी बनकर उभरी जन-धन योजना ने जहां ‘बैंक टू अनबैंक्ड’ का नारा सार्थक किया है वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वंचित वर्ग के उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराकर ‘फंड टू अनफंडेड’ के सूत्र से नई इबारत लिख रही है। इस योजना के तहत गरीबों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण मुहैया कराया जा रहा है। कहा जा सकता है कि बीते दो साल वित्तीय समावेशन की दृष्टि से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय साबित हुए हैं। वास्तविक अर्थ में देश ने वित्तीय छूआछूत मिटाकर गरीबी मिटाने की दिशा में एक अहम कदम उठा लिया है।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से वित्तीय समावेशन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन–धन योजना की घोषणा की। सरकार ने दो साल से भी कम समय में जन–धन योजना के करीब 22 करोड़ बैंक खाते खोलने का कीर्तिमान स्थापित कर सदियों से वंचित समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग तंत्र से जोड़कर विश्व के आर्थिक इतिहास में वित्तीय छूआछूत (फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी) मिटाने का एक नया अध्याय रचा है। वित्तीय समावेशन का जो काम 40 वर्षों में नहीं हुआ, जन–धन योजना ने चार महीनों में कर दिखाया।'

### वित्तीय समावेशन की अवधारणा

वित्तीय समावेशन से आशय ऐसी व्यवस्था से है जहां समाज का सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति भी अपनी सुविधानुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्राप्त कर सके और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे सके। सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से ही व्यक्ति आर्थिक व सामाजिक तौर पर समर्थ और सशक्त बन सकता है और देश की तरक्की में साझीदार बन सकता है। हालांकि वित्तीय समावेशन की अवधारणा सिर्फ बैंक में खाता खुलने तक सीमित नहीं है बल्कि पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा भी इसमें समाहित हैं। अगर किसी व्यंक्ति का बैंक खाता खुल जाए लेकिन वह न तो

उसका इस्तेमाल करे और न ही उसे पेंशन या बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा हो तो उसे 'वित्तीय समावेशन' नहीं कहा जा सकता।

'वित्तीय समावेशन' की अवधारणा अधिक पुरानी नहीं है। 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक नीति–निर्माताओं का ध्यान इस ओर गया। पहली बार व्यापक–स्तर पर इसका विचार मेक्सिको के शहर मोंटेरे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 'फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट' सम्मेलन में आया जिसे 'मोंटेरे कंसेंसस' के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में वित्तीय समावेशन विशेषकर विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में कहा गया कि वैश्वीकरण और विकास की प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए। सभी देशों ने महसूस किया कि वित्तीय समावेशन के बिना विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाना संभव नहीं है। इस सम्मेलन के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्तवर्ष के तौर पर घोषित कर सभी देशों के समक्ष एक सवाल खड़ा किया– ''बैंकिंग तंत्र से जुड़ने योग्य बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग सुविधा से वंचित क्यों हैं?'' इसके बाद ही विश्व का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया। हालांकि दशक भर पूर्व शुरू हुई इस पहल के बाद भी वर्ष 2014 में विश्व में 2 अरब लोग बैंकिंग की सुविधा से वंचित थे। आश्चर्य की बात नहीं कि उस समय ऐसे लोगों की बड़ी संख्या भारत में थी।

### वित्तीय समावेशन

भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत तो नब्बे के दशक में शुरू हो गई थी लेकिन वित्तीय समावेशन की ओर सरकार का ध्यान पिछले दशक के उत्तरार्ध में गया। जून 2006 में सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्काकलीन अध्याक्ष सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर एक समिति गठित की जिसने पहली बार भारत में इस विषय पर विषद चिंतन करते हुए अपनी सिफारिशें दी। रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन को परिभाषित भी किया। समिति ने कहा, ''वित्तीय समावेशन निम्न आयसमूहों और कमजोर वर्गों को जरूरत के अनुसार समयानुकूल वहनयोग्य लागत पर पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।'' समिति ने वित्तीय समावेशन के काम को 'मिशन मोड' (एक अभियान चलाकर) पर पूरा करने की सिफारिश की। हालांकि तत्कालीन सरकार ने छिटपुट प्रयासों के अलावा कोई बड़ी पहल इस दिशा में नहीं की। सरकार ने फरवरी 2011 में 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों एवं बस्तियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए 'स्वाभिमान' नाम से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने इस कार्यक्रम पर पहले वर्ष 50 करोड़ रुपये भी खर्च किए लेकिन इसके कुछ खास परिणाम नजर नहीं आए।

### भारत में वित्तीय समावेशन : 2014 से पूर्व और पश्चात

भारत के आर्थिक इतिहास में वित्तीय समावेशन की दृष्टि से 2014 एक निर्धारक वर्ष है। अगर हम 28 अगस्त, 2014 (क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री जन–धन योजना की शुरुआत हुई थी) से पूर्व भारत में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो आजादी के छह दशक बाद भी लगभग आधे परिवार बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के मात्र 58.7 प्रतिशत परिवारों की पहुंच बैंकिंग सुविधा तक थी। इसमें भी पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे दर्जन भर राज्य ऐसे हैं जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों की पहुंच बैंकिंग सेवा तक नहीं थी। इतना ही नहीं प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक शाखाएं मात्र 10.64 तथा एटीएम की संख्या मात्र 8.9 थी। एनएसएसओ के 59वें दौर के सर्वे के अनुसार देश के 51.4 प्रतिशत कृषक परिवार औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय तंत्र से वंचित थे। वहीं एक तिहाई से भी कम कृषक परिवारों की पहुंच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक थी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह जरूरी था कि वित्तीय समावेशन के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से वंचित करोड़ों लोगों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने प्रथम

संबोधन में दिल्ली में लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन–धन योजना की घोषणा की। एक पखवाड़े से भी कम समय में सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को इस योजना को लांच कर दिया। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि कोई योजना घोषणा होने के इतने कम समय में लांच हुई हो। प्रधानमंत्री ने गरीबी से आजादी के लिए वित्तीय छुआछूत खत्म करने का आह्वान करते हुए 26 जनवरी, 2015 तक पीएमजेडीवाई के तहत 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर देश के आर्थिक इतिहास में एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड बना और पहले ही दिन जन–धन के 1.5 करोड़ बैंक खाते खुले। महज एक सप्ताह में ही 1.8 करोड़ बैंक खाते खोले जाने पर प्रधानमंत्री जन–धन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ। इस तरह सरकार की सुनियोजित क्रियान्वयन योजना के परिणामस्वरूप 27 अप्रैल, 2016 तक पीएमजेडीवाई के तहत देशभर में रिकार्ड 21.68 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। **सरकार ने साढ़े सात करोड़ बैंक खाते खोलने का जो लक्ष्य रखा था, जन–धन योजना ने उसे कुछ ही दिनों में पार कर लक्ष्य के मुकाबले तकरीबन तीन गुना बैंक खाते खोलने का मुकाम हासिल किया है जो न सिर्फ अपने आप में एक अनूठा रिकार्ड है बल्कि गरीबों को आर्थिक तंत्र से जोड़ने का एक अनुकरणीय उदाहरण है।**

### प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खुले खाते (27 अप्रैल 2016 तक)

| | |
|---|---|
| ग्रामीण | ₹ 13.30 करोड़ |
| नगरीय | ₹ 8.37 करोड़ |
| कुल | ₹ 21.68 करोड़ |
| रुपे कार्ड की संख्या | ₹ 17.89 करोड़ |
| आधार से जुडे खाते | ₹ 9.68 करोड़ |
| खातों में बेलेंस | ₹ 36795.55 करोड़ |
| जीरो बेलेंस खाते | ₹ 26.39 प्रतिशत |

प्रधानमंत्री जन–धन योजना वित्तीय समावेशन का ऐसा अद्वितीय अभियान है जिसका लक्ष्य बैंकिंग, बचत व जमा खाता, धन भेजने, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। पीएमजेडीवाई पूर्व में चलाए गए वित्तीय समावेशन के स्वाभिमान जैसे कार्यक्रमों से निम्न प्रकार भिन्न हैं–

- पीएमजेडीवाई का फोकस प्रत्येक परिवार को बैंकिंग तंत्र से जोड़ने पर है जबकि पूर्व के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का फोकस गांव पर था।
- पीएमजेडीवाई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है जबकि पूर्ववर्ती कार्यक्रम सिर्फ 2,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में ही केंद्रित थे।
- पीएमजेडीवाई के तहत सरकार का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है जबकि पूर्ववर्ती कार्यक्रमों की पद्धति आंशिक थी।
- लोगों को बैंकिंग तंत्र से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने को पीएमजेडीवाई में 5,000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट, रुपे कार्ड, मुफ्त जीवन बीमा और एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जा रही है जबकि पूर्व के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्रियान्वयन के संबंध में है। पीएमजेडीवाई के तहत लोगों के बैंक खाते खोलने को सरकार ने जहां शिविर आयोजित किए वहीं पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को लागू करने में ऐसी तत्परता नहीं देखी गई।

### वित्तीय समावेशन की प्रगति कैसे मापी जाए?

विश्व बैंक के अनुसार किसी देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में कितनी प्रगति हुई इसका आकलन निम्न तीन संकेतकों (इंडीकेटर्स) के आधार पर किया जा सकता है।

- **अभिगम संकेतक (एक्सेस इंडीकेटर्स)–** इससे वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक की शाखा या पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार का पता चलता है। यह इस बात का द्योतक है कि किसी देश या प्रदेश में बैंकिंग सुविधाएं किस स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस संकेतक के माध्यम से यह भी पता किया जा सकता है कि ग्राहकों को वित्तीय संस्थानों तक पहुंचने में क्या अधिक खर्च करना पड़ता है।
- **उपयोगिता संकेतक (यूजेज इंडीकेटर्स) –** कोई ग्राहक साल में या महीने में कितनी बार बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बैंक खाते में औसतन कितना बेलेंस है, उसने कितने लेन–देन किए। इन तथ्यों के आधार पर भी वित्तीय समावेशन की प्रगति का आंकलन किया जाता है।
- **गुणवोत्तर संकेतक –** इससे बैंक के ग्राहकों के बीच सर्वे कर यह पता किया जा सकता है कि वित्तीय सेवा के रूप में उनके समक्ष जो विकल्प उपलब्ध हैं या उससे उनकी जरूरतें पूरी होती हैं? वित्तीय उत्पादों (फाइनेंशियल प्रोडॅक्ट्स) के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है।

विश्व बैंक की उपरोक्त कसौटी पर अगर प्रधानमंत्री जन–धन योजना का आकलन किया जाए तो निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:–

पहला तथ्य यह है कि जन–धन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के मुकाबले लगभग दुगुने बैंक खाते खुले हैं। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जहां मात्र 8.37 करोड़ बैंक खाते खुले वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 13.30 करोड़ थी। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद चार दशक से अधिक समय तक देश के ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सेवा से वंचित रहे। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक

संख्या में बैंक खातों का खुलना अपने आप में जन–धन योजना की सफलता का प्रमाण है।

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जन–धन योजना के तहत न सिर्फ लोगों के बैंक खाते खुले बल्कि उन्होंने उनका इस्तेमाल भी किया। 'जीरो बेलेंस' के नाम पर खुले जन–धन योजना के खातों में 27 अप्रैल, 2016 तक भारी–भरकम 36,795.55 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और 'जीरो बेलेंस' वाले बैंक खाते घटकर मात्र 26.39 प्रतिशत रह गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में कहें तो यह हमारे देश के 'गरीबों की अमीरी' का उदाहरण है। इसका अर्थ यह है कि जन–धन योजना के तहत खुले चार में से करीब तीन खातों में कुछ न कुछ बेलेंस जरूर है। 'जीरो बेलेंस' खातों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनका नेटवर्क मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनमें जन–धन योजना के 'जीरो बेलेंस' खाते मात्र 22.49 प्रतिशत हैं जो शहरों में केंद्रित सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के मुकाबले कम हैं। इससे पता चलता है कि देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की जड़ें मजबूत हो रही हैं।

तीसरा तथ्य यह है कि बहुत से राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिक बैंक खाते खुले हैं। इससे पता चलता है कि जन–धन योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक तंत्र से जोड़कर समर्थवान बनाने का सूत्र भी साबित हुई है।

चौथा तथ्य यह है कि जन–धन योजना के तहत 17.89 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो गरीब और कमजोर वर्ग अब तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के फल से वंचित था, वह भी अब तकनीकी से जुड़कर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेगा।

पांचवां तथ्य यह है कि जन–धन योजना के 9.68 करोड़ बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं। 'जैम त्रै' (जन–धन, आधार, मोबाइल) को धरातल पर उतारने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। जन–धन, आधार और मोबाइल की यह तिकड़ी महत्वाकांक्षी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मदद या सब्सिडी के वितरण में पादर्शिता सुनिश्चित करेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी।

छठा तथ्य यह है कि जन–धन योजना के तहत अब तक 63.07 लाख खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा की पेशकश की गई है और करीब 19 लाख खाताधारकों ने इस सुविधा का लाभ लेते हुए 256 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट भी लिया है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आमतौर पर छोटी रकम उधार लेने पर भी साहूकार को बड़ी ब्याज राशि चुकानी पड़ती है। ऐसे में जन–धन के तहत मिली पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा से गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने में मदद मिलेगी।

सातवां तथ्य यह है कि जन–धन योजना शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। जिन क्षेत्रों में एंड मोर्टार ब्रांच नहीं है वहां बैंक मित्रों के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 29 अप्रैल 2016 तक देश भर में 1,25,687 बैंक मित्र काम कर रहे हैं।

### पेंशन और बीमा योजनाओं की प्रगति (05.05.2016 तक)

| योजना | ग्रामीण पुरुष | ग्रामीण महिलाएं | शहरी पुरुष | शहरी महिलाएं | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| अटल पेंशन योजना | 7,78,355 | 4,13,676 | 7,98,818 | 4,94,894 | 24,85,698 |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | 91,52,130 | 56,67,464 | 94,36,876 | 53,44,206 | 2,96,00676 |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 2,96,86,265 | 2,00,11,017 | 2,81,55,686 | 1,64,08,180 | 9,42,61,148 |
| कुल | 3,96,16750 | 2,60,92,157 | 3,83,91,380 | 2,22,47,235 | 12,63,47,522 |

बैंकिंग सुविधा के अलावा वित्तीय समावेशन की अन्य प्रमुख कड़ी पेंशन और बीमा है। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा की तीन महत्वपपूर्ण योजनाएं– अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी। 05 मई, 2016 तक इन तीनों योजनाओं से 12.63 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। औसतन दस हजार से अधिक लोग रोजाना इन योजनाओं से जुड़ रहे हैं।

**(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूएनडीपी नीति आयोग फेलोशिप ऑन डिसेंटरलाइज़ प्लानिंग 2015 और मीडिया एम्बेसेडर इंडिया–जर्मनी 2015 और इनक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज 2010 में शोधार्थी हैं।)**

**ई–मेल : hari.scribe@gmail.com**

# स्वच्छ भारत से होगा समग्र भारत का विकास

–सिद्धार्थ झा

**व्यापक परिदृश्य में देखें तो 'स्वच्छ भारत' का सपना हमारी उन छोटी-छोटी आदतों पर टिका है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सिर्फ नदी-नाले, सड़क या भवनों की साफ-सफाई तक इस सपने को सीमित न करें बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये सोचे कि हम इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं। हम और आप एक जागरूक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं, व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है।**

सन 2019 में भारत जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहा होगा तब तक भारत में एक बहुत बड़े सपने का लक्ष्य साकार कर लिया गया होगा। एक ऐसा सपना जिसे देखने के लिए हमें आजादी के बाद भी 67 साल लग गए लेकिन इसको हकीकत बनने से अब कोई रोक नही सकता। 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से इस महाक्रान्ति का आह्वान किया तब लोगों को अहसास हुआ कि ऐसा कुछ है जो वो जाने–अनजाने में भूल जाते हैं। हम लोग घर–दफ्तर तो साफ रखते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में गली–मोहल्लों में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं।

गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का। गांधी जी का नजरिया इसको लेकर काफी रचनात्मक और क्रांतिकारी था। ये ऐसा काम था जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में जोड़ता था। चाहे सामूहिक उपवास हो या फिर चरखा चलाना या फिर साफ–सफाई, स्वच्छता–ये ऐसे काम थे जहां ऊंच–नीच या भेदभाव का कोई स्थान नहीं था ,सब लोग मिल–जुल कर काम किया करते थे। ये बताने की जरूरत नहीं कि महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा महत्व रखती थी। वो भारत को 'स्वच्छ' भारत के रूप में देखना चाहते थे। ग्रामीण भारत की दयनीय दशा से पूरी तरह से वाकिफ थे। लेकिन बहुत दुखद है कि आज भी देश की बड़ी आबादी खुले में शौच के लिए विवश है। तकनीक के सहारे हम हर हाथ में मोबाइल देने में तो कामयाब हो गए लेकिन हर घर में एक शौचालय दे सकें इसमें हमारे नीति–निर्माता असफल रहे। सोचिए, एक तरफ हम आर्थिक और तकनीकी रूप से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे। दूसरी तरह हमारे अपने ही भाई–बहन सिर पर मैला ढोने का अमानवीय काम करते रहे। सोचिए, कितना शर्मनाक धब्बा साबित होता होगा इस मुल्क के लिए जब दुनिया हमारे बारे में ये सब पढ़ती–सुनती होगी। सवा अरब की आबादी वाले देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं।

वर्ष 2012 की विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि स्वच्छता के अभाव में हम हर साल लगभग 54 अरब डॉलर गंवा देते हैं दवाई, इलाज या फिर बीमारी में कामकाज पर न जाने के कारण। यानी हर भारतीय औसतन 6500 रुपये गंवा देता है। इन विपरीत परिस्थितियों में पहली बार लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर अहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नही है बल्कि ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री का भाषण उन लाखों सफाई कर्मचारियों की आवाज बनकर उभरा जिसको देखकर लोग हिकारत से मुंह मोड़ लिया करते थे और ये समझते थे कि ये काम तुच्छ है और वही लोग करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठाया तो साफ–सफाई के मायने बदल गए। बड़े–बड़े नौकरशाह, मंत्री, बाबू, अभिनेता, खिलाडी और पत्रकार भी झाडू लेकर उस अभियान में कूद गए जिसे पूरा करने पर हम गांधीजी के सपनों का भारत बना सकें। 'स्वच्छ भारत' अभियान को लेकर अभी तक काफी कुछ लिखा–पढ़ा जा चुका है कि कैसे इस अभियान को जन–जन का आंदोलन बनाने की कवायद की गई है। बकायदा सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री ने सालभर में 100 घंटे के श्रमदान की अपील भी की जिसका काफी असर पड़ा। इस अभियान का लक्ष्य खुले में शौच को रोकना, हर घर मे शौचालय का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना है। इसके अलावा इस अभियान का मुख्य मकसद लोगों में सफाई के प्रति जागरुकता लाना भी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा मे दिए अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि स्वच्छता जन अभियान बनने की दिशा मे अग्रसर है और इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि आजादी के दशकों बाद कम से कम संसद में इस मुद्दे पर बहस तो हुई है।

'स्वच्छ भारत' अभियान एक व्यापक अभियान है जिसको पूरा करने के लिए चौतरफा रणनीति बनाई गई है जिससे कि लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई ना हो। स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 18 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया जो देशभर में स्वच्छता और साफ पानी देने के लिए बेहतर और आधुनिक तरीकों पर अपने सुझाव देगी। ये समिति ऐसी संभावनाओं और हल की खोज करेगी जो व्यावहारिक हो और जिन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके।

'स्वच्छ भारत' अभियान को दो हिस्सों मे बांटा गया है–स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत अभियान शहरी। इन दोनों के लिए पेयजल और स्वच्छता की जिम्मेदारी क्रमश ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गांव को योजना की तारीख से अगले पांच साल तक 20 लाख रुपये की धनराशि मुहैया करवाएगा। इस अभियान के तहत सरकार हर परिवार को व्यक्तिगत रूप से 12 हजार रुपये की धनराशि शौचालय के निर्माण के लिए दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस अभियान पर 134000 करोड़ रुपये की धनराशि का खर्च आएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों मे एक करोड़ से ज्यादा घरों को इसमें शामिल किया गया है जिसके लिए बजटीय आवंटन 62 हजार करोड़ रु रखा गया है। जहां पर घरेलू शौचालय बनाने में दिक्कत होगी वहां सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही, ठोस कचरे के निपटान के लिए भी काम किया जा रहा है। आम स्थानों जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस पूरी योजना में अनुमानतः 1 लाख 86 हजार करोड़ रु. खर्च आएगा जिससे देशभर मे 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां शुष्क शौचालय यानी बायो टॉयलेट्स के निर्माण पर काम जारी है। इस अभियान में दो प्रमुख चुनौतियों पर काम किया जा रहा है । पहला ग्रामीण भारत में साफ–सफाई की कमी एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु है दूसरी चनौती लोगों की सोच को बदलना है। हम कब सड़कों पर कचरा न फेंकना खुद सीखेंगे। लोग खुद कब अपने इलाके को साफ–सुथरा रखना सीखेंगे। ये दोनों काम अगर हो जाते हैं तो शायद कभी भी इस तरह के अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये अभियान अब तक कहां पहुंचा है।

अगस्त 2015 में सरकार की तरफ से कहा गया कि 'स्वच्छ भारत' अभियान की शुरुआत के बाद से शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में 46 प्रतिशत घरो में अपने शौचालय हैं। 2 महीने के बाद 'स्वच्छ भारत' अभियान में शुरू हुए लगभग 2 साल का समय हो जाएगा लेकिन चरणबद्ध तरीके से समय से काफी पहले ही हम इस योजना में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। आज शौचालय निर्माण का काम काफी तेजी से हो रहा है। दलगत राजनीति से कोसों दूर हर राज्य सरकार, पार्टी, विभिन्न विचारधाराओं के

लोगों के समर्थन से आज ये व्यापक रूप धारण कर चुका है। पूरी दुनिया आशान्वित नजरों से हमारी ओर देख रही है कि हम कैसे इतनी बड़ी समस्या से इतने बड़े मुल्क को निजात दिलाते हैं क्योंकि तभी उन देशों के लिए भी सम्भावनाओं की राहें खुलेंगी।

उनके 15 अगस्त, 2014 को ही दिए हुए भाषण का केंद्रबिंदु हमें उनकी बेटियों के प्रति चिंता भाव में झलकता है जिसमें उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। गांव–देहात ही नहीं शहरों में भी ऐसे बहुत से विद्यालय मिल जाते थे जहा पर शौचालय नहीं थे। उन्हें आसपास खेत या झाड़ियों में जाना पड़ता था। इससे न सिर्फ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों होती हैं बल्कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध का शिकार भी होना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से लडकियों का ड्रापआउट रेट स्कूलों में कहीं ज्यादा था। इस छोटी–सी मगर महत्वपूर्ण सुविधा के अभाव में जाने कितनी ही कल्पना चावला, किरण बेदी सरीखी प्रतिभाओं ने अकाल ही दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' की घोषणा करते हुए एक वर्ष के भीतर देश भर में 13 करोड़ 70 लाख लड़कें एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय निर्माण करने का वादा किया था। ऐसे 2,62,000 स्कूल चिन्हित किए गए जहां 4,24,000 शौचालयों का निर्माण होना था। आज देश भर में अब लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।

'बाल स्वच्छता' इस 'स्वच्छ भारत अभियान' का प्रमुख हिस्सा है। क्योंकि 'स्वच्छ आदर्श भारत' बनाने में ये नई पौध भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली है। ये बच्चे स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो दूसरो को उनके स्कूल, घरों, आसपास के वातावरण को साफ रखने में जागरुकता फैला रहे हैं। सही मायनों में मैं इन्हें 'स्वच्छता के राजदूत' के तौर पर देखता हूं और समाज में इनकी वजह से बहुत बदलाव आया है। दरअसल इन बच्चों पर भरोसे का श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है जब इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 125 वे जन्मदिवस पर बाल स्वच्छता अभियान की नींव डाली थी जो 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक चलाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर साल 2014 मे ही गांधी जयंती से विद्यालयों में स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया। इसके अंतर्गत बच्चों में वो छोटी–छोटी मगर महत्वपूर्ण आदतों को अपनाने को प्रेरित किया गया जो उन्हें निरोगी बनाए रखें मसलन खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ वर्दी, कटे नाखून, रुमाल रखना, विद्यालय परिसर को साफ रखना। आज ये सभी अच्छी आदतें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। वास्तविकता में ये अभियान आज भी बच्चों के मन–मस्तिष्क और उनके क्रियाकलापों में जारी है। बाल स्वच्छता अभियान भी स्वस्थ भारत अभियान का एक अहम् हिस्सा है।

विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख से ज्यादा मौतों की वजह सिर्फ मानव मल से होने वाली बीमारियां हैं और इसमें भी बड़ी संख्या है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की। ये आंकड़े यहीं खत्म नहीं होते ये सिर्फ शुरुआत है। स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह है। आंकड़े बताते हैं हर साल विश्वभर में 20 लाख बच्चे डायरिया, 6 लाख बच्चे गंदगीजनित रोगों और 55 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैजे की चपेट मे आकर मरते हैं। इसमें भी आबाधी संख्या हमारे यानी भारतीय बच्चों की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मे रोजाना पांच साल से कम उम्र के एक हजार बच्चों की मौत अस्वच्छता से जुड़ी बीमारियों मसलन डायरिया, हेपेटाइटिस और हैजे जैसे रोगों से होती हैं।

बाल स्वच्छता अभियान की जरूरत इसलिए भी है अगर बच्चे छोटी उम्र में इन बीमारियों का शिकार नहीं भी हुए तो भी अस्वच्छता की वजह से होने वाले रोग इनको घेर लेते हैं जो इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर असर डालता है। स्वास्थ्य संबंधी शोध बताते हैं कि कुपोषण सिर्फ पौष्टिक आहार की कमी से नहीं बल्कि अस्वच्छता की वजह से भी होता है जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। ये ज्यादातर गंदे हाथों से खाना खाने की वजह से होता है जिसके लिए पिछले दो साल में अनेक जागरुकता अभियान और प्रचार माध्यम का सहारा लिया गया। आज बच्चे गांव–गांव, घर–घर में स्वच्छता के दूत बने हुए हैं जो प्रधानमंत्री का संदेश जन–जन तक पहुंचा रहे हैं और स्वच्छ भारत की हकीकत को बहुत हद तक पाने में मदद भी कर रहे है। बाल स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जितनी सक्रियता दिखाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है क्योंकि उसकी प्रभावी नीतियों का ही नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल छात्रों को सुलभ है।

स्वच्छ भारत की दिशा में सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं जन–जन का बरसों पुराना एक और सपना है कि भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा निर्मल अविरल बहती रहे। लेकिन गंगा–यमुना की सफाई के नाम पर अब तक गाया तो बहुत गया, साथ ही पैसा भी बहुत बहाया गया लेकिन गंगा दिन–प्रतिदिन मरती रही। स्वयंसेवी संस्थाओं, लालफीताशाही और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण गंगा नदी से जीवन चक्र ही समाप्ति की दिशा में है। केंद्र सरकार की गंगा नदी को साफ करने की मुहिम का नाम है 'नमामि गंगे' परियोजना जिसे

2037 करोड़ रु. की आरंभिक राशि के साथ शुरू किया गया जिसका बजट बढ़ाते हुए अगले 5 साल में ये राशि 20 हजार करोड़ रु कर दी गई है। भारत के पांच राज्य उत्तराखंड, झारखण्ड, बिहार,उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल गंगा नदी के पथ पर आते हैं। इस योजना के तहत गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियो की भी सफाई की जाएगी। क्योंकि पिछले कई दशकों से अनुपचारित गंदगी और औद्योगिक अपशिष्ट डालने की वजह से गंगा की स्थिति बद से बदतर हुई है। इन राज्यों के 118 शहरो से गंगा नदी का प्रवाह है। इसकी साफ–सफाई और रखरखाव के लिए इससे सम्बंधित मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकाय के अलावा गांव के सरपंचों तक की मदद हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया है क्योंकि जन–भागीदारी और जागरुकता ही गंगा को स्वच्छ करने का कारगर औजार साबित होंगे।

हाल ही में जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 'नमामी गंगे' उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसकी स्वच्छता और लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत झारखंड से की जा चुकी है। इस अभियान को पूरा करने के लिए गंगा टास्क फोर्स, गंगा के तटों पर वनीकरण, गंगा की सफाई के लिए सवा सौ टीमें गठित की हैं। इसके साथ ही तकनीकी अध्ययन तक कराने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। इतना ही नहीं कई देशों के साथ तकनीकी के समझौते भी किए गए हैं जिससे इस योजना का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार का पूरा ध्यान गंगा नदी पर प्रवाह उपचार संयंत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना से गन्दगी को साफ करने का है। सिर्फ इतना ही नहीं गंगा चूंकि हमारी आस्थाओं का केंद्रबिंदु है इसलिए सिर्फ वैज्ञानिक या पर्यावरणविद् ही नहीं देशभर के साधू–संतों को इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। इसी का नतीजा है उज्जैन में अभी सिंहस्थ कुम्भ चल रहा है। पूरे विश्व की नजरें इस पर लगी हुई हैं। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में जो नजारा हाल ही में अभी धार्मिक नगरी में देखने को मिला जब तमाम धर्म गुरुओं ने एक स्वर में प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किए इस अभियान को व्यापक समर्थन दिया और एक मंच पर खड़े होकर शौचालय बनाने पर बल देते हुए स्वच्छता क्रांति लाने का आह्वान किया। विभिन्न धर्म गुरुओं ने सद्भावना संकल्प के जरिए स्वच्छता क्रान्ति लाने का आह्वान किया और देश के नागरिकों से अपील की वे इस कार्य मे जुट जाएं ताकि भारत की स्वच्छता वैश्विक उदाहरण बन सके।

'स्वच्छ भारत' अभियान भारतीय रेल के प्रयासों के उल्लेख के बिना अधूरा है। जिस तरह से भारतीय रेलों में पहले से बेहतर साफ–सफाई का प्रबंध हुआ है, इसके लिए देशभर में उसके भागीरथी प्रयासों की सराहना हुई है। रेल की पटरियों में जाने कितना मलमूत्र रोज बिना उपचार के गिरता है जिसकी वजह से रेल की पटरी के किनारे रहने वालों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस समस्या के निदान के लिए सभी ट्रेन मे बायो टॉयलेट लगाने की शुरुआत हो रही है और जिस गति से काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल सौ प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में स्टेशन पर जिस तरह की साफ–सफाई का नजारा देखने को मिलता है निसंदेह इसके पीछे भी 'स्वच्छ भारत' का मंत्र काम कर रहा है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं यात्री भी जागरूक हुए हैं अपने कर्त्तव्यों को लेकर। रेलवे की संवेदनशीलता का इससे बेहतरीन नमूना क्या हो सकता है कि अब रेलमंत्री को किए हुए हर ट्वीट पर तुरंत कार्यवाही होती है। ऐसे तमाम स्टेशन तो एकबारगी साफ–सफाई के मामले में एयरपोर्ट सरीखा एहसास करवाते हैं– रायपुर, नई दिल्ली,हैदराबाद, भोपाल ऐसे तमाम स्टेशन की लिस्ट में मौजूद हैं।

व्यापक परिदृश्य में देखें तो 'स्वच्छ भारत' का सपना हमारी उन छोटी–छोटी आदतों पर टिका है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सिर्फ नदी–नाले, सड़क या भवनों की साफ–सफाई तक इस सपने को सीमित न करें बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हुए ये सोचे कि हम इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं। आज उपभोक्तावादी युग में हम यूज एंड थ्रो संस्कृति का हिस्सा हैं। क्या कभी आपने मिनरल वाटर की बोतल,प्लास्टिक के चाय का कप ,कलम, चिप्स, पैकेट और तमाम उन मशीनों के बारे में सोचा है जिनका बेहद कम इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं। किसी भी सरकार, किसी भी देश के लिए। इस तमाम कचरे को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जगह–जगह कचरे के पहाड़ हिमालय से भी ऊंचे होते जा रहे हैं इनका समाधान क्या है। कैसे हम अपनी जरूरतों को सीमित करके हिन्दुस्तान को कूड़ास्तान बनने से रोकें।

इस दिशा में अब समय आ गया है कि हम और आप एक जागरूक नागरिक की तरह सिर्फ सोचे ही नहीं व्यवहार भी करें। क्योंकि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, सक्षम और मजबूत भारत देने का ख्वाब हम सभी का है। उम्मीद है साल 2019 में गांधी जयंती के दिन जब भारत में सुबह की पहली किरणें जगमगाएंगी तब पूरे विश्व में इसकी रोशनी ये संदेश देगी कि गांधी जी आज भी जीवित हैं उन सभी सपनों में जो उन्होंने कभी भारत भूमि के लिए देखे थे कभी जात–पात, अस्पृश्यता की समाप्ति पर तो कभी 'स्वच्छ भारत' के हकीकत बनने पर।

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं तथा लोकसभा टीवी में कसंल्टेंट हैं।)**
**ई–मेलः jha.air.sidharath@gmail.com**

# बालिकाओं के बेहतर भविष्य की ओर

—रंजीत

**बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर भविष्य की बुनियाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक आजादी और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ी है जिसमें सबसे अहम भूमिका उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की होती है। वर्तमान सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच के खिलाफ मुहिम के चलते आज देशभर में बड़ी तादाद में बने शौचालयों ने जहां महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है वहीं 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि और स्टैंडअप योजना' ने उन्हें शैक्षिक और आर्थिक मंच पर सुरक्षा प्रदान करने की पहल की है। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने उन्हें राजनीतिक नेतृत्व के भी अपार अवसर दिए हैं।**

सन 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की ग्रामीण आबादी लगभग 84 करोड है। यह कुल आबादी का तकरीबन 70 प्रतिशत है। 84 करोड ग्रामीण आबादी में करीब 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की करीब 40.32 करोड़ महिलाएं गांवों में रहती हैं। कई सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण,शोध और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण भारत गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, अंधविश्वास जैसे सामाजिक–आर्थिक अभिशापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका है और अब भी विशाल ग्रामीण आबादी बिजली,पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों व सुविधाओं के अभाव की मार झेल रही है। यह भी एक तथ्य है कि इन अभावों व कमियों की मार तुलनात्मक तौर पर महिलाएं ज्यादा झेल रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारों ने ग्रामीण भारत खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए कई कार्यक्रम व स्कीमें शुरू की। लेकिन, सच यह है कि विकास के मानदंडों व संकेतकों पर ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में युगांतकारी परिवर्तन नहीं आया। ज्यादातर

# मध्यप्रदेश में बालिकाओं के बेहतर भविष्य की नींव

—डॉ स्वाति तिवारी

कहा जाता है कि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। यह कथन मध्यप्रदेश में बहुत तेजी से सच होता दिखाई दे रहा है, जहां बेटी बोझ समझी जाती थी वहां आज 'बेटी है तो कल है' जैसा विचार तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की जो कोशिशें की गई, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे बालिकाओं और महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सशक्तीकरण के साथ–साथ उनकी शिक्षा और सुरक्षा के चहुंमुखी प्रयास है।

नारी शक्ति की अदम्य ऊर्जा को प्रदेश ने पहचाना जिसके तहत प्रदेश में कई महत्वपूर्ण निर्णय महिला नीति के तहत लिए गए जिनका लाभ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से समाज को मिलने लगा है। जैसे बालिकाओं ने महिला बाल विकास की 'सबला योजना' का लाभ उठाकर अपना बेहतर भविष्य खुद बनाया और आज वे अपने परिवार का सहारा बनी हुई हैं। प्रदेश में आज 29 लाख बेटियां 'लाडली लक्ष्मी योजना' का लाभ उठा रही हैं। सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना कन्यादान योजना में 4 लाख के लगभग विवाह और निकाह करवाए गए हैं जिनसे गरीब परिवारों में बेटियां कर्ज का कारण ना बनें। सरकार ने कन्यादान जैसी योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति सोच को बदल दिया है। आज पचास प्रतिशत महिलाएं स्थानीय निकायों में चुनकर एक नयी इबारत लिख रही हैं। वे विकास के फैसले स्वयं कर रही हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेते हुए पुलिस की नौकरी में आकर अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ–साथ स्त्री सुरक्षा की नई कहानी कह रही हैं।

टीकमगढ़ के ग्राम ब्रजपुरा की 17 वर्षीय पूजा ने अपने घर के आसपास खाली पड़ी जमीन की उर्वरकता को पहचाना और अपनी मेहनत से जमीन को उपजाऊ बना डाला। आज पूजा उस पर अपनी मनपसंद सब्जियों की खेती कर रही है। पूजा की इस उपलब्धि के पीछे 'सबला' योजना रही। आज पूजा सब्जियों की बड़ी व्यापारी बन गई है। लाभ कमा कर अपने घर–परिवार के साथ–साथ पूरे गांव को प्रेरणा दे रही है। बरखेडा की युवा सरपंच भक्ति शर्मा इन दिनों प्रदेश के युवाओं में बेहद चर्चित और लोकप्रिय नाम है। वे बाकायदा पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्रामीण विकास का नया इतिहास लिख रही हैं। अमेरिका में पढ़ी भक्ति शर्मा ने अपने गांव को विकास की राह पर लाने के लिए एक अलग टीम तैयार की है अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को रंग दे रही हैं। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण एक लक्ष्य की तरह है वे इसी काम को मिशन की तरह कर रही हैं। महू तहसील की कोदरिया पंचायत की युवा सरपंच अनुराधा ने महज चार माह में लोगों को अपने विश्वास में लेते हुए उनसे स्व कराधान योजना के तहत 23 लाख रुपये के टैक्स की वसूली की।

मध्यप्रदेश में महिलाओं की सफलता की इन कहानियों की एक लम्बी शृंखला है जो यह बताती है की मध्यप्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश सरकार और समाज दोनों की ओर से सतत प्रयास हो रहे हैं। बालिका सशक्तीकरण की जो कोशिशें की गई हैं उससे प्रदेश में समाज का परिदृश्य बदला है। आज प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सोच, मानसिकता और व्यवहार में बदलाव आया है और लोग स्त्री के प्रति सम्मान भाव के साथ उनके विकास में आगे आ रहे हैं। घरों में बेटी का जन्म अब उदासी का कारण नहीं है। लोग गर्व से कहने लगे है कि उनके घर लक्ष्मी जन्मी है। लाडली लक्ष्मी योजना 25 लाख जन्मी बालिकाओं को लाभ पहुंचा चुकी है। 'बेटी बचाओ' प्रदेश की योजना से देश की योजना में बदल गई, 'स्वागतम लक्ष्मी' योजना के रूप में बेटी बचाओ अभियान को नया स्वरूप दिया गया। घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाने के लिए प्रदेश के दस जिले चयन किए गए जहां कन्या भ्रूण हत्या पर कठोर दंड के साथ रोक लगी।

बालिकाओं की शिक्षा निर्बाध चले इसके लिए लगभग 20 लाख साईकिलें वितरित की गई, यूनिफॉर्म, किताबें सभी निशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास के उद्देश्य से 200 कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे है। 'गांव की बेटी' योजना के तहत ग्रामीण बेटियों को 12 वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जा रही है। आत्मरक्षा के लिए बालिकाओं को ताइक्वान्दो, कुश्ती, मार्शल आर्ट, जुडो कराते का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'लड़ो अभियान' के चलते बाल विवाह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं एक बालिका अर्चना ने अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए साहस पूर्ण काम करते हुए अपनी अंक सूची और विवाह का कार्ड पुलिस थाने भिजवा दिया, उसकी इच्छाशक्ति और प्रदेश में बालिकाओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण के चलते ही यह संभव हो सका और आज वह पढ़ रही है।

(वरिष्ठ लेखिका)
ई–मेल : stswatitiwari@gmail.com

योजनाएं आंशिक परिणाम ही दे सकीं जबकि अधिकतर विफल रहीं। योजनाओं की विफलता के विभिन्न सैद्धांतिक,राजनीतिक, नीतिगत व संस्थागत कारण रहे जिसकी चर्चा व विश्लेषण यहां प्रासंगिक नहीं हैं।

वर्ष 2014 में केंद्र में बनी नई सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक व पहले आम बजट से इस बात के संकेत दिए कि वह ग्रामीण भारत के पिछड़ेपन खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए गंभीर हैं। हाल में ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान की शुरुआत को देखकर तो यही लग रहा है कि ग्रामीण विकास के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण लगातार देखने को मिल रहे हैं। बीते करीब दो वर्षों में सरकार ने ग्रामीण भारत खासकर ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्थितियों में सकारात्मक व गुणात्मक बदलाव लाने के लिए कई योजनाओं और स्कीम आदि की शुरुआत की है। इन योजनाओं की बनावट, इसके पीछे का विज़न, बजट की व्यवस्था, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग व निगरानी मैकेनिज्म पर गौर करने से ये सब सकारात्मक व उम्मीद जगाने वाली पहल लगती हैं। अगर राज्य व केंद्र सरकार आपसी तालमेल से इन योजनाओं पर काम करें तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है।

बीते दो वर्षों की अल्पावधि में 'स्वच्छ भारत' मिशन के तहत शुरू की गई शौचालय निर्माण योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। एक पत्रकार की हैसियत से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के सुदूर गांवों में लेखक को शौचालय योजना के कारण आए बदलाव को नजदीक से देखने का अवसर मिला है। झारखंड के आदिवासी बहुल दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू आदि जिलों के सुदूर गांवों में दो साल पहले तक हजारों बस्तियों की लाखों महिलाएं खुले में शौच के लिए अभिशप्त थीं। शौच के लिए उन्हें सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। बरसात के मौसम में स्थिति नारकीय हो जाती थी। इस क्रम में कई दफा महिलाओं को असामाजिक तत्वों के कारण यौन उत्पीड़न का शिकार तक होना पड़ता था। लेकिन सरकारी सब्सिडी के तहत चलायी गई शौचालय निर्माण योजना के कारण महज दो साल से कम की समयावधि में राज्य की सैकड़ों सुदूरवर्ती बस्तियां खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हो गई हैं। राष्ट्रीय–स्तर पर भी इस स्कीम के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शौचालय निर्माण की जनोपयोगिता कितनी ज्यादा है।

एनएसएसओ द्वारा जारी हालिया स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, देश के ग्रामीण इलाकों में दो वर्षों से कम की अवधि में करीब 177.10 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 2 अक्तूबर, 2014 के बाद शौचालय युक्त घर–परिवारों में 9.77 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि मौजूदा वित्तवर्ष में निर्माण की गति में कुछ सुस्ती आई है, इसके बावजूद अब तक 55 हजार 775 गांव खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक देश भर में 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। इसके लिए लगातार बजट प्रबंध किए जा रहे हैं। अगर सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होती है तो यह न सिर्फ देश की करोड़ों महिलाओं की गरिमा अक्षुण्ण रखने में मददगार होगा, बल्कि गांवों में अक्सर फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में भी मददगार होगा। योजना में स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण इससे महिला साक्षरता में भी बढ़ोतरी होगी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के स्थानीय अखबारों में इस तरह की खबर अक्सर पढ़ने को मिल रही है कि शौचालय की व्यवस्था के बाद प्राथमिक विद्यालयों

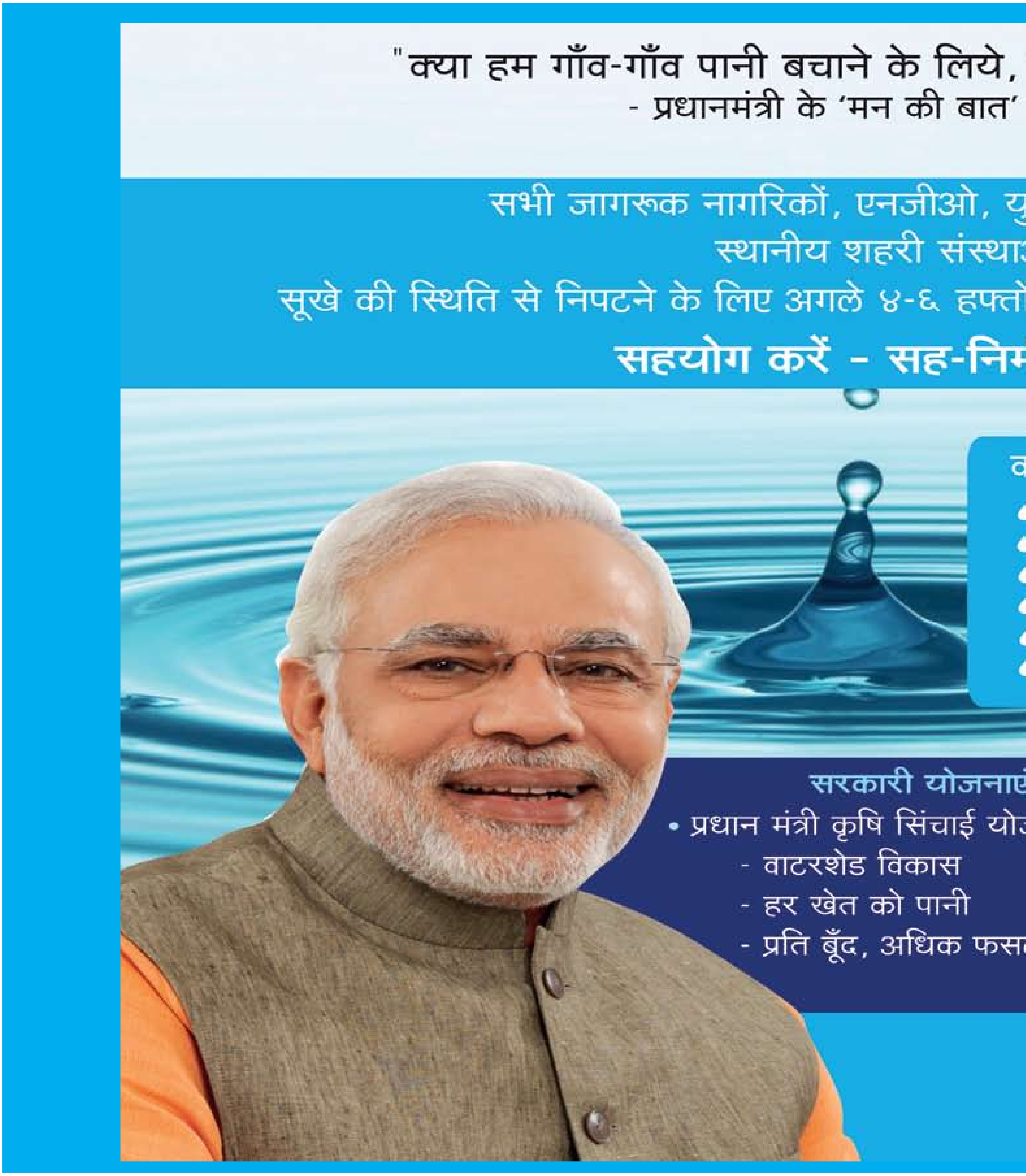
"क्या हम गाँव-गाँव पानी बचाने के लिये,
- प्रधानमंत्री के 'मन की बात'
सभी जागरूक नागरिकों, एनजीओ,
स्थानीय शहरी
सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगले ४-६
सहयोग करें -
सरकारी
• प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई
- वाटरशेड विकास
- हर खेत को पानी
- प्रति बूँद, अधिक

एक अभी से अभियान चला सकते हैं!"
संबोधन में राष्ट्र को संदेश

ुवा संगठनों, कृषि समुदायों, पंचायतों,
ओं का तत्काल आह्वान
ं में एकजुट हों और जल संरक्षण गतिविधियां प्रारंभ करें

**ाण करें - संरक्षण करें**

र्षा ऋतू से पूर्व अपने क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ चलायें:

- तालाब की खुदाई और टंकियों का निर्माण / मरम्मत
- भूजल पुनर्भंडारण संरचना निर्माण
- वर्षा जल संचयन हेतु संरचना निर्माण
- नहर की लाइनिंग बनाना / पानी के चैनल (प्रवाह मार्ग) का सुधार कार्य
- चेक डैम का निर्माण
- वनारोपण / पेड़-पौधे लगाने की तैयारी

ं जिनसे उपरोक्त गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है

जना

ल उत्पादन

- मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

सत्यमेव जयते

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय

davp 35301/13/0002/1617

में लड़कियों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। ड्रॉप आउट की दर में भी कमी आने की सूचना और संकेत मिल रहे हैं। यह बात और है कि एक ओर जहां पश्चिम बंगाल इस योजना का लाभ लेने में आगे है, तो बिहार व झारखंड में अब भी निर्माण की गति सुस्त है। वैसे कई राज्यों में अच्छी–खासी संख्या में अनुपयोगी शौचालय बनाने की भी सूचना मिल रही है। इस बिंदु पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है।

'स्वच्छ भारत' मिशन के बाद जिस एक योजना में ग्रामीण भारत की दयनीय तस्वीर को बदलने की संभावना नजर आती है, वह है–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देश में खेती योग्य करीब 1420 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। अधिकतर राज्यों की बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी के जीवीकोपार्जन का साधन खेती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे करीब एक दर्जन राज्यों की 80 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी 1420 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन में से करीब 55 प्रतिशत असिंचित है। यह बहुआयामी खतरों से भरी विडंबना है। ऐसे हालात के साथ न तो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी न ही ग्रामीण इलाकों की दयनीयता कम होगी। खेती को लाभप्रद उद्यम बनाने का मूलाधार सिंचाई सुविधा से जुड़ा हुआ है और यह सवाल सिर्फ गांवों का नहीं, बल्कि 40 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 हजार करोड़ के विशाल बजट से सिंचाई की महायोजना बनाई है। इसके तहत पांच वर्षों में देश के जलाशयों व नम भूमि का संरक्षण किया जाएगा। करीब 1300 जलाशय चिन्हित भी किए गए हैं। पांच लाख फार्मिंग पुल बनाने की योजना गिरते भू–जल स्तर को संरक्षित करने और खेतों की उर्वराशक्ति बचाने में काफी मददगार होगी। पानी की बर्बादी रोकने से लेकर, सिंचाई की नई तकनीक अपनायी जाएगी। मौजूदा बजट में सरकार ने इस मद में 5300 करोड़ रुपये का बजट प्रबंध कर अच्छे संकेत दिए हैं। इससे प्रेरित होकर कुछ राज्यों ने जल संरक्षण के मुद्दे पर पहल भी शुरू कर दी हैं। अक्सर पेयजल संकट से उत्पन्न परेशानी महिलाओं को ज्यादा झेलनी पड़ती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए उन्हें लंबा सफर तक करना पड़ता है। अगर जल संरक्षण की संकल्पना पर आधारित यह योजना आगे बढ़ती है तो यह ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार लाने के अलावा उनकी परेशानी को कम करने में काफी मददगार होगी।

इन दोनों महायोजनाओं के अलावा बहरहाल करीब एक दर्जन योजनाएं केंद्र सरकार के स्तर से चलायी जा रही हैं जिनमें

## बालिकाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम

''जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो हम एक परिवार को साक्षर करते हैं।' महिला शिक्षा के इसी महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई जिसे नाम दिया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का उद्देश्य लिंगभेद से पूर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना, बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना; बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार करना और बालिकाओं के लिए संरक्षण माहौल को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के प्रारम्भ में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 10 चुनिंदा जिलों को शामिल किया गया। खासकर उन जिलों को जहां बालक–बालिका का अनुपात बेहद कम है। इस अभियान के जरिए आधी आबादी को उसका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की गई। इसमें कोई संदेह नही कि इस अभियान की राह में कई चुनौतियां हैं और उनका सामना सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के साथ ही बालिकाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के मकसद से सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई। यह बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है जिसमें निवेश को आयकर से मुक्त रखा गया है। इस योजना के तहत् 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का बैंक खाता खोला जाएगा। इन खातों में बचत पर वर्ष 2015–16 के लिए 9.2 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज देने की घोषणा की गई। हालांकि यह स्थायी नहीं है। सरकार हर वर्ष इसकी समीक्षा करेगी। इन खातों में हर साल डेढ़ लाख रुपये तक की रकम जमा कराई जा सकती है। यह खाता लड़की के 21 साल तक की हो जाने तक के लिए होगा। मगर 18 वर्ष की हो जाने के बाद लड़की इसमें से 50 प्रतिशत रकम निकाल सकेगी।

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य सशक्तीकरण के बदलाव–बीज नजर आते हैं। इस क्रम में कुछ समय पहले शुरू की गयी 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' स्कीम की चर्चा प्रासंगिक है। देश में दशकों से जारी लैंगिक पूर्वाग्रह व भेदभाव की बात नई नहीं है। इस योजना के तहत देश के 100 चिन्हित जिलों में बहुआयामी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

सामाजिक, शैक्षणिक अवसरों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाने के उपक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कल तक जो लड़कियां हाईस्कूल जाने से कतराती थीं, अब गांव से दूर जिला मुख्यालय तक पहुंच रही हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरह के कार्यक्रम को सतत चलाने की आवश्यकता है और इसमें राज्य सरकार व केंद्र के अन्य विभागों को शामिल करने की भी आवश्यकता है।

गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना भी एक प्रशंसनीय पहल है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को अगले तीन साल में मुफ्त एलपीजी गैस दिया जाना है। गौरतलब है कि सरकार की अपील पर करीब एक करोड़ से अधिक सक्षम लोगों ने एलपीजी गैस की सब्सिडी त्याग दी है। सरकार इस बचत का उपयोग गरीब महिलाओं के लिए करने जा रही है। बीते साल इस योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन आवंटित किए गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे जलावन व रसोई के ईंधन के लिए दर–दर भटकने के लिए मजबूर गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक पत्रकार के तौर पर लेखक ने झारखंड की कोयला खदानों के आसपास की गरीब बस्तियों में इस योजना के सकारात्मक असर को देखा है। अक्सर ईंधन के लिए गरीब महिलाएं कोयला चुनने बंद व परित्यक्त खदानों के अंदर दाखिल हो जाती हैं। लेकिन जिन घरों में एलपीजी कनेक्शन आ रहे हैं उन परिवारों की महिला अब परित्यक्त खदानों से कोयला चुनने की गैरकानूनी व जोखिमपूर्ण आदत से परहेज करने लगी हैं। इसके अलावा जलावन चुनने में लगने वाले समय का उपयोग मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना का लाभ उठा रही महिलाएं जीविकोपार्जन के लिए कर सकेंगी और जलावन पर खाना पकाने के कारण होने वाली बीमारियों से भी बच सकेंगी।

ग्रामीण विकास की राह में आधारभूत संरचनाओं का अभाव हमेशा से बड़ी बाधा रही है। बिजली के अभाव में न तो लोग आधुनिक दुनिया से जुड़ पाते हैं न ही बिजली आधारित तकनीकों का लाभ ले पाते हैं। लेकिन बीते दो वर्षों में देश भर में बिजली से वंचित करीब 5 हजार गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। अब बिजली से वंचित गांवों की संख्या महज 13 हजार रह गई है। चूंकि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं की जानकारी से लेकर उसके कार्यान्वयन, दैनंदिन काज–रोजगार तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, इसलिए बिजली गांवों की अनिवार्य जरूरत है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में तेज विद्युतीकरण की योजना कारगर व लाभदायक साबित हो रही है।

मानव तस्करी के अभिशाप से देश अभी तक मुक्त नहीं हो सका है। पिछड़े व आदिवासी–बहुल राज्य मसलन छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर–प्रदेश आदि राज्यों से हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण लड़कियों की मानव तस्करी होती है। संबंधित राज्य व केंद्र सरकार ने मानव–तस्करी को रोकने के लिए तरह–तरह की स्कीम चलायी। लेकिन इस पर लगाम नहीं लग सकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि योजनाओं को समान्यतया स्वयंसेवी संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया गया। मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऐसी इंटीग्रेटेड योजना की जरूरत थी जो इस समस्या के जमीनी कारणों को खत्म करे। कानूनी कार्रवाई से लेकर इलाके में व्याप्त गरीबी, अजागरुकता, पीड़ितों के पुनर्वास और इन सब के आपसी समन्वय से काम करें। मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई उज्जवला योजना में इन बातों का ख्याल रखा गया है। ग्रामीण–स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की विभिन्न योजनाएं, राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाली सरकारी सहायता राशि सीधे प्राप्त करने के लिए जन–धन योजना के तहत खुले खाते उज्जवला योजना के उद्देश्य में सहायक साबित हो रहे हैं। मानव तस्करी के लिए कुख्यात इलाकों में इन सारी योजनाओं और स्कीम को समन्वित कर तेज गति से चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य स्कीम मसलन–वन स्टॉप सेंटर स्कीम, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमैन अथवा स्टेप, इंदिरा गांधी मातृशक्ति योजना, स्टॉर्टअप स्कीम आदि उम्मीद जगाती हैं।

हालांकि सरकार ने योजना और स्कीम का लाभ जरुरतमंदों तक पहुंचाने के लिए और कार्यान्वयन के स्तर पर होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए कुछ नई पहल की हैं। ऑनलाइन आवेदन व डिलीवरी मैकेनिज़्म पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर खामियां व्याप्त हैं। इसे कम करने के लिए सरकार को प्रखंड, जिला–स्तर पर निगरानी के लिए मजबूत मॉनीटरिंग एजेंसी व समन्वय के लिए सक्रिय नोडल एजेंसी बनानी चाहिए। आवेदन व डिलीवरी मैकेनिज़्म को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बी.एच.यू, वाराणसी से स्वर्णपदक के साथ पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जन–सरोकार से जुड़े मुद्दों में इनकी विशेष रुचि है और उन पर लगातार शोध–रिपोर्ट लिखते रहते हैं।)**

**ई–मेलः ranjitkoshi1@gmail.com**

# गांवों में रफ्तार पकड़ता 'डिजिटल इंडिया'

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

**डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन आसान बनाना है बल्कि गांवों को डिजिटली साक्षर कर 'वैश्विक गांव' में तब्दील करना है। इसी के मद्देनजर बजट 2016-17 में आने वाले तीन वर्षों में छह करोड़ घरों के ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं डिजिटल साक्षरता के काम को स्किल डेवलपमेंट योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे रोजगार की भी अपार संभावनाएं पैदा होंगी।**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 'डिजिटल इंडिया' के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बिंदुवार ढंग से बताया कि उनकी नजर में 'डिजिटल इंडिया' के मायने क्या हैं और जब वे 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं तो कौन से भारत का सपना देखते हैं। 'डिजिटल इंडिया' पहल प्रधानमंत्री की अपनी भविष्योन्मुखी दृष्टि पर आधारित है और भारत की विकास प्रक्रिया में योगदान देने वाली है इसलिए उनका यह बयान बेहद अहम हो जाता है जो उन्होंने हाल ही में इंडिया डिजिटल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए दिया। पिछले एक साल से 'डिजिटल इंडिया' के संदर्भ में चल रही गतिविधियों और घटनाक्रम को प्रधानमंत्री का यह संबोधन एक स्पष्ट दिशा और दृष्टि देता है।

श्री मोदी ने एक–एक कर अपने विज़न को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखते हैं–

- जहां 1.20 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने में जुटे हों।
- जहां ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति के रूप में लोगों को सक्षमता प्रदान करे।
- जहां सूचनाओं तक पहुंच के मार्ग में कोई बाधा न हो।

- जहां सरकार खुली और पारदर्शी हो।
- जहां टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करे कि सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क के माध्यम भ्रष्ट नहीं किए जा सकें।
- जहां सरकारी सेवाएं मोबाइल उपकरणों के माध्यम से नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध हो सकें।
- जहां सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ खुलकर संवाद करे।
- जहां डिजिटल शिक्षा के माध्यम से समाज के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बने।
- जहां तेज रफ्तार डिजिटल हाईवे देश को जोड़ते हो।
- जहां ई–हेल्थ केयर के माध्यम से प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक भी उपलब्ध हों।
- तत्क्षण सूचनाएं किसानों को वैश्विक बाजारों से जुड़ने में समर्थ बनाएं।
- मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध आपातकालीन सेवाएं निजी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग हो।
- मोबाइल बैंकिंग वित्तीय समावेश सुनिश्चित करे।
- ई–कॉमर्स उद्यमिता को प्रोत्साहित करें।
- दुनिया अगले बड़े विचार के लिए भारत की ओर देखे।
- इंटरनेट से जुड़ा हुआ नागरिक एक सबल नागरिक हो।

डिजिटल इंडिया के प्रति प्रधानमंत्री की समग्र परिकल्पना का उल्लेख करना इस मायने में भी जरूरी है चूंकि श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि में हमारे गांव इस भविष्योन्मुखी अवधारणा का एक प्रमुख अंग हैं। भले ही वह सवा अरब नागरिकों को इंटरनेट से जोड़ने की आकांक्षा हो, भले ही सरकारी सेवाओं को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाने का सपना हो, भले ही डिजिटल शिक्षा को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का संकल्प हो, भले ही देश के सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक ई–हेल्थ केयर के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य हो और भले ही इंटरनेट से जुड़े हर नागरिक को एक सबल–सक्षम–समर्थ नागरिक में बदल देने का इरादा हो, यह सिद्ध करता है कि डिजिटल इंडिया की अवधारणा एक समावेशी अवधारणा है और ग्रामीण भारत उसमें बड़ी अहमियत रखता है।

डिजिटल इंडिया से गांवों में बदलाव की बात कोई सपना या कागजी योजना नहीं है। हालांकि कार्य चुनौतीपूर्ण है और देश में पर्याप्त बिजली की सप्लाई तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव एक बड़ी रुकावट है किंतु ये रुकावटें भारत की एक सच्चाई हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहल आज की जाती है तब भी और यदि यह 10 साल बाद की जाती है तब भी, ऐसी चुनौतियां हमारे सामने इसी तरह खड़ी होने वाली हैं। इन हालात में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समाधान के वैकल्पिक मार्ग निकालना एक अनिवार्यता है। सरकार को इन चुनौतियों का अहसास है और वह उनसे निपटने के रास्तों की तलाश भी कर रही है। यह नजरिया बहुत अधिक अहमियत रखता है।

मिसाल के तौर पर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) की अवधारणा को देखिए। दूरसंचार क्षेत्र में एक ओर जहां रिलायंस जिओ टेलीकॉम जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने में जुटी हैं और सरकार की ओर से राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार दूरसंचार तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई सोच से भी काम ले रही है। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर ऐसी कंपनियां होंगी जिनके पास अपना स्पेक्ट्रम नहीं है लेकिन जिन्हें किसी खास क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराने का अधिकार होगा। ये लाइसेंसशुदा दूरसंचार कंपनियां नहीं हैं लेकिन ये लाइसेंसशुदा ऑपरेटरों से एयरटाइम खरीदेंगी और उसे उपभोक्ताओं को बेचेंगी। जिन दूरसंचार ऑपरेटरों के पास किसी खास क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क नहीं है या आधारभूत सुविधाओं की कमी है वह एक तीसरे पक्ष को एयर टाइम बेच सकेगा जो उस क्षेत्र में बेहतर पैठ रखता है। इससे अलग स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का विकास होने लगेगा। दूरसंचार के साथ–साथ इसी तरह का विकल्प इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उपलब्ध होगा।

केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने अगले दो–तीन वर्षों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मिसाल के तौर पर यह कि सन 2018 तक भारत में 50 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। उसी वर्ष बाजार में आने वाले हर मोबाइल फोन में ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली ई–सुविधा मौजूद होगी। एक और घोषणा यह है कि भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड (बीएसएनएल) सन 2018 में एक बार फिर से लाभप्रद कंपनी बन जाएगी। तब तक बीएसएनएल भारत में 40,000 वाइ–फाइ हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए जाएंगे। ये सब घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आने वाले वर्षों में डिजिटलीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आपको याद होगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत के समय विभिन्न कंपनियों ने लगभग 4.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की घोषणाएं इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज भी भारत की वयस्क आबादी के सिर्फ 22 प्रतिशत हिस्से को इंटरनेट तक पहुंच हासिल है जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 67 प्रतिशत है। न्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार जहां भारत के शहरी क्षेत्रों में हर 1000 घरों में से 487 के पास इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध है वही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 घरों में से सिर्फ 161 के पास यह विकल्प मौजूद है।

डिजिटल इंडिया के सफल क्रियान्वयन के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा परिकल्पित 5 स्तंभों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ये पांच स्तंभ हैं– कोर बैंकिंग सुविधाओं से युक्त सवा लाख डाकघर, देश के कोने–कोने में फैला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, 1.57 लाख सामान्य सेवा केंद्र, बड़े पैमाने पर खोले जाने वाले ग्रामीण बीपीओ या कॉल सेंटर और और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। यह सब मिलकर इंटरनेट और दूरसंचार तकनीकों पर आधारित सेवाओं की डिलीवरी का टिकाऊ तंत्र स्थापित करेंगे जिसे 'आधार' के साथ जोड़ा जाएगा।

श्री प्रसाद को उम्मीद है कि इस विशाल तंत्र का लाभ न सिर्फ ई–कॉमर्स कंपनियों, ब्रॉडबैंड कंपनियों आदि द्वारा अपनी सेवाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में किया जाएगा बल्कि बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सरकारी सेवाओं को गांव–गांव तक पहुंचाने में भी इन पांच स्तंभों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इसी तरह की नई सोच के बीच डिजिटल इंडिया अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। इस संदर्भ में हाल ही में शुरू हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक नजर डालना प्रासंगिक होगा। राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल (विशाल वेबसाइट) के तहत हाल ही में निशक्त लोगों के लिए अलग से एक रोजगार पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसके माध्यम से निशक्त लोग शैक्षणिक ऋण और कौशल प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिला ई–हाट नामक ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है। यहां ग्रामीण महिलाएं सीधे अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले भुगतानों के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की शुरुआत की गई है। यह वर्चुअल माध्यमों से किए जाने वाले भुगतानों को किसानों को अधिक सुरक्षित, सटीक और तीव्र बनाने में योगदान देगी।

महाराष्ट्र के 6 जिलों में ग्रामीण भूमि नक्शा नवीसी और इन नक्शों के डिजिटलीकरण का काम शुरू हुआ है। तेलंगाना राज्य ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। कोच्चि के नौसैनिक केंद्र में देश की पहली ई–पेंशन अदालत लगाई गई है। यहां पेंशन से संबंधित मामलों का तुरंत निपटारा करने के लिए पेंशन विभाग और बैंक अधिकारी उपस्थित थे। उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मौके पर ही कई विवाद निपटाए, जिनका पुराने तौर–तरीकों से महीनों में समाधान हो पाता।

दूरदर्शन की ओर से भी एक सेवा की शुरुआत हुई है जिसके तहत बिना इंटरनेट मोबाइल फोन पर टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ है। फिलहाल ये प्रसारण 4 महानगरों तथा 12 अन्य बड़े शहरों में शुरू हुए हैं। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने टिकट कलेक्टरों के लिए हाथ में रखी जाने वाली टर्मिनल मशीनें लांच की हैं। रेल टिकट कटवाने के लिए कागज रहित मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत हुई है। 408 रेलवे स्टेशनों पर ई–केटरिंग की सेवा शुरू की गई है जिसके तहत यात्री मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी पसंद के भोजन का आदेश दे सकेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने ई–हेल्थ पहल के तहत अनेक नई सुविधाओं की शुरुआत की है जिनमें इ–रक्त कोष नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में किसी खास रक्त समूह चेहरे की उपलब्ध मात्रा का ब्यौरा देता है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए नए तकनीकी टूल का प्रयोग शुरू किया है जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं। तात्पर्य यह है कि डिजिटल इंडिया के तहत अलग–अलग क्षेत्रों में, अलग–अलग विभागों द्वारा,

अलग–अलग उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक सुविधाओं का विकास तेजी पकड़ रहा है।

केंद्र ही क्यों, राज्यों के सरकारी मंत्रालयों, विभागों, जिला मुख्यालयों और गांवों से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं जिनसे एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ प्रतीत होता है। अब यह बात बार–बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं रही कि सूचना प्रौद्योगिकी विशेषकर इंटरनेट और मोबाइल युक्तियों के इस्तेमाल से तमाम तरह की सेवाओं को अधिक सुगम, तेज रफ्तार, व्यापक और प्रभावी बनाना संभव है। यह संदेश भी प्रशासन और कारोबार के विभिन्न स्तरों तक पहुंच गया लगता है कि आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में तकनीक का प्रयोग अब अवश्यंभावी है। विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ यह अनेक पारंपरिक चुनौतियों और रुकावटों को दूर करने में भी मदद करेगा, जैसे कि भ्रष्टाचार।

**पिछली एक मई को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के संपूर्ण डिजिटलीकरण का सिलसिला शुरू हो गया जब जिले के 5 गांवों को औपचारिक रूप से 'डिजिटल ग्राम' घोषित किया गया। इस साल अगस्त तक नागपुर जिले की 776 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पहुंच जाएगा और इस तरह नागपुर जिला देश का पहला पूर्ण डिजिटल जिला बन जाएगा।** राज्य सरकारों ने डिजिटल इंडिया से प्रेरित होकर अपने–अपने स्तर पर भी डिजिटलीकरण की योजनाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र सरकार की डिजिटल ग्राम योजना के तहत राज्य के अनेक गांव डिजिटलीकृत किए जाने हैं।

तेलंगाना राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। निजामाबाद जिले के नरसिंहपुर गांव को सौ फीसदी डिजिटल साक्षर बनाने का अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले बसरा गांव राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर गांव बन चुका है। इस परियोजना में तेलंगाना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन और तेलंगाना विश्वविद्यालय मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं और ऐसा माहौल सरकारी और निजी भागीदारी का स्वतः स्फूर्त सिलसिला शुरू होने की उम्मीद बंधाता है।

जैसाकि हमने ऊपर जिक्र किया यदि देश के राज्य और जिलों ने डिजिटल इंडिया की भावना को अंगीकार कर लिया तो देश में विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में डिजिटलीकरण की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तब वह हमारे आर्थिक–सामाजिक और तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा बन जाएगी और डिजिटल इंडिया अभियान पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रह जाएगी। इस तरह की डिजिटल संस्कृति और सोच सारी प्रक्रिया को दीर्घकालीन रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए जरूरी है। विकासमान भारत के लिए वह एक आदर्श स्थिति होगी जब जिले–जिले से डिजिटलीकरण के अभियान शुरू होते हुए दिखाई देंगे।

हाल ही में खबर आई थी कि डिजिटल इंडिया के तहत किए गए अपने वायदे के अनुसार अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने टेलीविजन व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उठाया था। कंपनी ने कुछ गांवों में प्रायोगिक तौर पर इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके दिखा दिया है। गूगल ने 10 रेलवे स्टेशनों पर वाइ–फाइ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सुविधा देना शुरू किया है। अगले कुछ वर्षों में यह कंपनियां प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप ही देश के कोने–कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करा देंगी।

केंद्र सरकार के स्तर पर डिजिटल इंडिया के तहत आने वाली परियोजनाओं को लालफीताशाही से बचाने, मंजूरी तथा क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान व त्वरित बनाने और उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाने की चेष्टा भी दिखाई देती है। आखिरकार यह ऐसी पहल है जिसकी कामयाबी सिर्फ केंद्र सरकार के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। इसकी कामयाबी का दारोमदार सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ–साथ उपभोक्ता के स्तर पर होने वाली भागीदारी पर भी रहेगा। पिछले एक साल में हुआ काम उम्मीद बंधाता है।

**(लेखक वरिष्ठ तकनीकविद् और स्तंभकार हैं।)**
**ई–मेलः balendudadhich@gmail.com**

# योग : स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति के लिए

—डॉ. ईश्वर एन आचार्य
—डॉ. राजीव रस्तोगी

**योग एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ-साथ स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान भी है जो रोग एवं स्वास्थ्य दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। योग जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार करता है। और अंततः हमें एक स्वस्थ, सुखपूर्ण और चिंतारहित जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है।**

सामंजस्य एवं शान्ति के लिए योग

योग हमारे देश की परम्पराओं में रचा–बसा हुआ एक विज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। योग इस धरती को हमारे ऋषियों एवं मुनियों की देन है जिन्होंने योग विज्ञान के सिद्धांतों को परख कर अपने अनुभव के आधार पर उसे जीवन में ढाला। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और इसके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को 'पातंजलयोगसूत्र' नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। उन्होंने योग के विभिन्न पक्षों को परिष्कृत करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए योग के आठ अंगों का प्रतिपादन किया जो अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं– यम (आत्मसंयम), नियम (आत्मशोधन के नियमों का पालन), आसन (शारीरिक मुद्राएं), प्राणायाम (श्वास प्रश्वास का नियमन), प्रत्याहार (इंद्रियों को उनके विषय से रोकना), धारणा (चिंतन), ध्यान (तल्लीनता) और समाधि (पूर्ण आत्मतन्मयता)। योग का अभ्यास मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है परंतु जनसाधारण द्वारा इसका अभ्यास विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक विकारों से बचने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत करने व तनावपूर्ण स्थितियों को दूर करने के लिए किया जाता है।

योग का प्रादुर्भाव आज से लगभग हजारों वर्षों पूर्व का माना जाता है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती हुई अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मुहर एवं जीवाश्म अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था।

योग एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ–साथ स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान भी है जो रोग एवं स्वास्थ्य दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।

आज योग समय की आवश्यकता बन गया है। पूरी दुनिया में आज योग की धूम है। योग ने समय के साथ अपने आपको प्रमाणित किया है। स्वास्थ्य के प्रोत्साहन, रोगों से बचाव तथा जीवनशैली के विभिन्न रोगों के समुचित प्रबंधन के लिए आज दुनिया भर के वैज्ञानिक योग की ओर देख रहे हैं। बहुत सारे अनुसंधान अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 'योग' से उनकी अपेक्षा गलत नहीं है। वास्तव में 'योग विज्ञान' में इतनी शक्ति है कि वह लोगों की अपेक्षाओं को साकार कर सकता है।

योग जीवन में प्रसन्नता के नए द्वार खोलता है। योग हमें प्रकृति के पास ले जाने का प्रयास करता है, हमें पांच तत्वों से जोड़कर याद दिलाता है कि हम इसी प्रकृति से जन्में हैं। योग जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार करता है। और अंततः हमें एक स्वस्थ, सुखपूर्ण और चिंतारहित जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से विश्व के पटल पर योग को एक अलग पहचान मिली है। 27 सितंबर, 2014, को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के समय अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था 'योग प्राचीन भारतीय परम्परा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योगाअभ्यास शरीर एवं मनन विचार एवं कर्मय आत्मसंयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदान करता है तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवनशैली में परिवर्तन लाकर हमारे अन्दर जागरुकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। आइए, हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें'। योग के प्रति प्रधानमंत्री श्री मोदी के लगाव तथा प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया गया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। उल्लेखनीय है कि 75 दिन के रिकार्ड समय के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो गया। यही नहीं बल्कि यह पहला ऐसा प्रस्ताव है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 देश सह –प्रायोजक हैं।

आयुष पद्धतियां जिनके अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां आते हैं, आज महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेष रूप से सरल, सहज एवं किफायती हैं जिनका अनुपालन आसानी से किया जा सकता है। ये पद्धतियां हमें जीवन को नए ढंग से जीना सिखाती हैं तथा हमारी बिगड़ी हुई जीवनशैली को सुधार कर हमें समाज का एक उपयोगी हिस्सा बनाने पर जोर देती हैं। आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में योग की मांग बढ़ रही है क्योंकि यह हानिरहित है तथा स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। सभी आयुष पद्धतियां मनोदैहिक तथा जीवनशैली से संबंधित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे अच्छे उपाय के तौर पर उभर कर सामने आई हैं।

योग को अब एक कैरियर के रूप में भी देखा जा रहा है। देश में बहुत सारे संस्थान तथा विश्वविद्यालय हैं जो योग में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा बी.ए., एम.ए., व पी–एच.डी. स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों तथा योग चिकित्सकों की मांग बढ़ी है। इन योग प्रशिक्षकों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

भारत सरकार ने आयुष पद्धतियों के समुचित विकास के लिए स्वतंत्र आयुष मंत्रालय की स्थापना की है जिसने अपनी स्थापना के पश्चात इन पद्धतियों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। योग के विकास एवं प्रचार–प्रसार के लिए केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना की गई है जो अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से योग के प्रचार–प्रसार में संलग्न हैं। जनसाधारण के लाभार्थ देश के सभी जिलों में 21 मई, 2016 से 21 जून 2016 तक एक मास के लिए निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन परिषद की एक ऐसी ही योजना है जिसे सभी ने सराहा है।

आगे आने वाले समय में योग की आवश्यकता और बढ़ेगी। दुनिया में बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, तनाव और अवसाद आज घर–घर की बात हो गए हैं। बिगड़ी हुई जीवनशैली ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जहां से स्वास्थ्य का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में योग का प्रकाश ही हमें स्वास्थ्य के राजमार्ग तक ले जा सकेगा यदि हम उसे अपने जीवन में उतार कर उसका नियमित अभ्यास करेंगे। योग एक जीवनशैली है, जिसे अपना कर हम सदा–सर्वदा स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं।

**(लेखक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में क्रमशः निदेशक और सहायक निदेशक (प्रा.चि.)हैं।)**
**ई–मेलः ccryn.goi@gmail.com**

# युवा वर्ग की बदलती तकदीर

—प्रभांशु ओझा
—जय प्रकाश पांडे

**वर्तमान सरकार ग्रामीण युवा की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति संजीदा है। जहां एक तरफ प्रयास ग्रामीण युवा वर्ग को रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का है तो वहीं गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की तरफ भी सरकार का ध्यान है। इन दोनों ही कदमों से गांवों से युवा वर्ग का पलायन रोका जा सकता है और ग्रामीण युवा शक्ति का उपयोग गांव में ही उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। जैसे-जैसे ग्रामीण युवा आबादी का देश के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा, उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान स्वयं होगा। अच्छी बात ये है कि वर्तमान सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है।**

समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों को संबोधित करना किसी भी आदर्श लोकतंत्र का लक्ष्य होता है और भारतीय लोकतंत्र के बारे में तो यह बात और भी ज्यादा सच लगती है। आजादी के छह दशक से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी भारत के गांव ही सही मायनों में समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हर सरकार प्रयासरत रहती है। साल 2014 में हुए आम चुनाव के बाद नई आशा और ऊर्जा के साथ मोदी सरकार सत्ता में आयी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे के साथ–साथ उम्मीद थी कि सरकार ग्रामीण भारत को सशक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करेगी। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल था कि देश की युवा ग्रामीण आबादी के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? वर्तमान सरकार के सत्ता में लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस दौरान न सिर्फ ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के क्रांतिकारी प्रयास किए गए हैं, बल्कि ग्रामीण विकास के बारे में बनी–बनाई धारणाएं भी टूट रही हैं। स्वाभाविक है कि यह समझने के लिए सबसे पहले ग्रामीण विकास के बारे में सरकार के नजरिए की पड़ताल करनी होगी, फिर यह देखना होगा कि सरकार की पहलें गांवों की आधारभूत संरचना और आर्थिक–सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव ला रही हैं?

### ग्रामीण विकास की अनूठी सोच

वर्तमान सरकार जब सत्ता में आयी तो उसके सामने ये चुनौती तो थी ही कि 'भारत और इंडिया' के बीच की खाई को पाटा जाए, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी कि ग्रामीण विकास को लेकर आम जनमानस और देश की सोच बदली जाए। गुजरते सालों में भारत की विकास गाथा और उसके विमर्श में गांवों का जिक्र लगातार पीछे छूटता जा रहा था। जाहिर है कि इस शून्य की भरपाई स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और ग्रामीण विकास के बारे में उनकी सर्वथा अलग सोच ने की। अपने संबोधनों में उन्होंने बार–बार ग्रामीण भारत के महत्व को रेखांकित किया। उनके आलोचक मानते हैं कि ग्रामीण भारत के विकास की ओर ध्यान देने की शुरुआत तो वर्तमान सरकार ने इस बजट से

की है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के आरम्भ में ही 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' का आरम्भ नहीं करते। इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक यथार्थ रूप देना था। प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति की राह दिखाता है। वास्तव में आदर्श ग्राम योजना का सम्पूर्ण महत्त्व सिर्फ इस बात में नहीं था कि इससे गांवों की तस्वीर रातों–रात बदल जाएगी। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए तो सरकार ने आदर्श ग्राम योजना को जवाबदेह बनाया है, उसकी समीक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन उससे भी बढ़कर इस पहल ने ग्रामीण विकास के मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री ने ये भांप लिया था कि ग्रामीण विकास के लिए बनने वाली बहुत–सी योजनाएं इसीलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें न तो आवश्यक संबल मिल पाता है और न ही वे मुख्यधारा विमर्श का हिस्सा बनती हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस योजना की घोषणा के लिए लालकिले की प्राचीर को चुना। आश्चर्य नहीं कि आज इस योजना के तहत जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लादेरवां गांव से लेकर तमिलनाडु का शिवगंगा गांव तक शामिल हैं। भारत के गांवों को परस्पर एक इकाई में बांधने के नजरिये से भी वर्तमान सरकार का यह एक अभिन्न प्रयास है।

## गांवों का आधुनिकीकरण–बहुआयामी सोच

वास्तव में ग्रामीण विकास को लेकर वर्तमान सरकार ने अब तक एक समग्र और बहुआयामी सोच का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी एक तरफ लगातार अपने संबोधनों में देश की विकास प्रक्रिया से गांवों को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने एक जवाबदेह और क्रियात्मक ढांचे के जरिए भी ग्रामीण विकास योजनाओं पर निगरानी रखने का तरीका अपनाया हुआ है। कुछ समय पहले पंचायत दिवस पर बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर वर्तमान सरकार की प्राथमिकताए स्पष्ट कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल की जरूरत है। हर गांव को हर साल एक काम हाथ में लेना होगा जैसे कि सभी किसानों के लिए बीमा सुनिश्चित करना, जल संरक्षण करना, डिजिटलीकरण सुनिश्चित करना और बच्चों पर उचित ध्यान सुनिश्चित करना। जाहिर है कि इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप सरकार ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं भी बना रही है।

इस साल पेश किए गए बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, सिंचाई सुविधाओं,मनरेगा, कृषि विकास, किसानों के लिए ऋण सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुल 1.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की सफलता भी है। योजना के तहत देशभर के हजारों गांवों का विद्युतीकरण सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिनमें उत्तर–पूर्वी राज्यों के गांवों के विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

## ग्रामीण भारत और ग्रामीण युवा वर्ग

हालिया सालों में इस बात की चर्चा बार–बार की गई है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान ही दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च–स्तर प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में 15 वर्ष से 35 वर्ष के लगभग 5.50 करोड़ लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास आजीविका का साधन नहीं है। अनुमान ये भी व्यक्त किया जा रहा था कि आने वाले वक्त में विश्व में लगभग 5.70 करोड़ कामगारों की कमी होने की सम्भावना है। श्री मोदी सरकार जब सत्ता में आयी तो उसके सामने यह सुनहरा अवसर था कि वह इस अवसर को भुनाए। लेकिन जितना बड़ा ये अवसर था, उतनी ही बड़ी ये चुनौती भी थी। इसीलिए सरकार ने कौशल और उद्यम विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। चूंकि भारत को आवश्यकता अपनी बड़ी ग्रामीण युवा आबादी को कौशलयुक्त रोजगार देने की थी, इसीलिए सरकार ने कौशल विकास को लक्ष्य बनाकर विभिन्न योजनाए लागू कीं। चूंकि सरकार का लक्ष्य अगले तीन सालों में लगभग एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना था, इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक संस्थागत और आधारभूत ढांचे की जरूरत थी।

इसके लिए सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को संस्थागत ढांचा प्रदान किया। इस मिशन की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे उप–मिशन भी इस अभियान के अंतर्गत ही संचालित हो रहे हैं। समग्र रूप में सरकार द्वारा लागू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं–

## युवाओं के लिए प्रमुख योजनाएं

### प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है जिससे आने वाले समय में सामाजिक–आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा

मिलना तय है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा बदलाव के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरम्भ की गई। नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से यह योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यू एफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दिया जाएगा। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम जैसेकि 'मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वयच्छ भारत अभियान की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

## उद्यमिता योजना

भारत में शिक्षा और औद्योगिक कुशलता को जोड़ने के उद्देश्य से उद्यमिता योजना का आरम्भ 1 अप्रैल, 2016 को किया गया। योजना के तहत देश भर के 3000 शैक्षणिक संस्थानों में बाहर से उद्यमी शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा को उद्योगपरक बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ–साथ उद्योगवृत्ति का विकास करना भावी चुनौतियों से निपटने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक हो चला है। जिन 3000 शैक्षणिक संस्थानों को उद्यमिता योजना के लिए चुना गया है, उनमें देश भर के 2,200 कॉलेज तो शामिल हैं ही, साथ–साथ 500 आईटीआई संस्थानों को भी उद्यमिता योजना का लाभ मिलेगा। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पहले ही साल 50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

## अपरेंटिस (प्रशिक्षु) प्रोत्साहन योजना

देश के ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 'प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना' 16 अक्टूबर, 2014 को आरंभ की। इसके लिए प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन कराया गया। योजना के अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठानों, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा काम पर रखे गए प्रशिक्षुओं को पहले दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में मिलने वाले स्टायपेंड का 50 फीसदी हिस्सा सरकार को वहन करना था। हालांकि इस योजना को लागू करने में आरम्भ से ही सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद लक्ष्य साल 2017 तक एक लाख प्रशिक्षुओं को सहयोग प्रदान करना है। अगर महत्ता के नजरिए से देखें तो इस योजना की मदद से अर्धकुशल कामगारों को एक न्यूनतम मजदूरी प्रदान कर सूचीबद्ध किया जा रहा है।

## कौशल ऋण योजना (स्किल लोन स्कीम)

योजना का आरम्भ विश्व युवा कौशल दिवस पर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना से वे सभी युवा लाभान्वित हो सकते हैं जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़े संस्थानों और संगठनों में जाकर कौशल विकास के पाठ्क्रमों को पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए अगले पांच सालों तक 34 लाख युवाओं को डेढ़ लाख से लेकर पांच लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

## विश्व बैंक से साझेदारी

सरकार ने देश में औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से साझेदारी कर भी कई पहलें की हैं। सरकारी–निजी भागीदारी द्वारा 'स्किल ट्रेनिंग फार एम्प्लायबिलिटी को तेज करने के लिए विश्व बैंक भारत को एक बिलियन डॉलर की मदद देने को तैयार हो गया है। औद्योगिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने में भी विश्व बैंक भारत की मदद करने को तैयार हुआ है।

## प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

वर्तमान सरकार द्वारा देश के छोटे व्यवसायियों के लिए शुरू की गई यह एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग छह करोड़ परिवारों को उनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. सूक्ष्म इकाइयों के विकास तथा वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों की संस्था। संस्था उन सभी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा गतिविधियों में लगी सूक्ष्म, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन श्रेणियों–शिशु, किशोर और तरूण में कर्ज प्रदान किए जाएंगे।

## अन्य योजनाएं

वास्तव में, इन योजनाओं की सूची यही खत्म नहीं होती है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना, शिल्पी प्रशिक्षण योजना, कौशल आंकलन और प्रमाणन के लिए बोर्ड की स्थापना आदि ऐसे बहुत से कदम हैं जिनमें देश की ग्रामीण युवा आबादी को लाभान्वित करने की क्षमता है।

## कुछ पूर्व योजनाएं

### उड़ान

जम्मू–कश्मीर के युवाओं को देश के बाकी हिस्सों के साथ मुख्यधारा में लाने और उनको कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना साल 2011 में आरम्भ की गई थी। साल 2015–16 में इस योजना की अवधि समाप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए इस विशेष औद्योगिक पहल योजना की अवधि को बढ़ाकर साल 2019–20 तक कर दिया है। उड़ान योजना जम्मू –कश्मीर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। अभी तक, 'उडान' के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ 67 अग्रणी कॉरपोरेट जुड़ चुके हैं जिनका लक्ष्य राज्य में संगठित रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, आईटी, आईटीईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आदि में युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

## राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जून, 2011 में आजीविका–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की गई थी। आजीविका–एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना था।

## उम्मीद योजना

जम्मू–कश्मीर की महिलाओं के सशक्तीकरण की यह योजना राज्य में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से साल 2013 में चलायी गई थी। इसके तहत पांच साल में नब्बे हजार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

## ग्रामीण युवा वर्ग का विकास–एक समग्र नजरिया

इन प्रयासों को गौर से देखने पर यह पता लगता है कि वर्तमान सरकार ग्रामीण युवा की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति संजीदा है। जहां एक तरफ प्रयास ग्रामीण युवा वर्ग को रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का है तो वहीं गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की तरफ भी सरकार का ध्यान है। इन दोनों ही कदमों से गांवों से युवा वर्ग का पलायन रोका जा सकता है और ग्रामीण युवा शक्ति का उपयोग गांव में ही उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने और यातायात सुविधाओं के विस्तार, बिजली की नियमित आपूर्ति, पीने को स्वच्छ पानी, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा की गांव और गांव से निकटतम स्थान में समुचित व्यवस्था, ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और विपणन सहयोग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों तो ग्रामीण युवा शक्ति का बेहतर उपयोग हो सकता है।

ग्रामीण भारत और खासकर ग्रामीण युवा को सशक्त बनाने में वर्तमान सरकार का अब तक सबसे अहम योगदान यही है कि विकास मॉडल में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत को अनुपयोगी मान लेने वाली सोच में बदलाव आया है। बीते सालों में यह धारणा गहराती चली गई थी कि कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में कोई विशेष योगदान नहीं दे सकता। धीरे–धीरे ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दे भी मुख्यधारा विमर्श से गायब होते जा रहे थे। जाहिर है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने प्रयासों से इस धारणा को तोड़ दिया है। जैसे–जैसे ग्रामीण युवा आबादी का देश के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा, उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान स्वयं होगा। अच्छी बात ये है कि वर्तमान सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है।

**(प्रभांशु ओझा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और विभिन्न आर्थिक–पर्यावरणीय विषयों पर राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। उनके सहयोगी लेखक ओएनजीसी में राजभाषा अधिकारी हैं।)**
**ई–मेलः prabhansukmc@gmail.com**

# ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य की बदलती तस्वीर

—उमेश चतुर्वेदी

**शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होता है। स्वच्छता के इसी महत्व को वर्तमान सरकार ने समझा और स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया जिसके तहत आज देश भर के स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं। गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में बदलती जरूरतों को समझते हुए 23 वर्षों के बाद सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है।**

''यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें गांवों से शुरुआत करनी होगी''—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य से ही जाहिर है कि सरकार की सोच गांवों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या है। ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए ना सिर्फ केंद्र, बल्कि राज्य सरकारों ने ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश को बेहतर माहौल देने की दिशा में तमाम तरह के कार्यक्रम बना रही हैं।

सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा और ज्ञान के बिना आजादी नहीं मिल सकती। शिक्षा ही वह हथियार है, जिसके सहारे अज्ञानता के गहन अंधकार से मानवता बाहर निकलकर आजादी की नई सांस ले पाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में लोगों को शिक्षा, सेहत और रोजगार की सुविधा मुहैया कराए बिना किसी राजनीति का कोई मायने नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के इस महत्व को गांधी जी ने भी समझा था, तभी उन्होंने 1937 में राज्यों के भावी शैक्षिक स्वरूप पर विचार करने के लिए 22–23 अक्टूबर को वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की। इसमें आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर और उन दिनों कॉलेज शिक्षक के तौर पर काम कर रहे दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल और महान शिक्षाशास्त्री ज़ाकिर हुसैन समेत तमाम हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी सम्मेलन में तय हुआ कि गांधी के शिक्षा दर्शन पर आधारित बुनियादी तालीम का ढांचा तैयार किया जाए जिसके आधार पर राज्यों में शिक्षा व्यवस्था चलेगी।

23 अक्टूबर 1937 को व्यापक चर्चा के बाद बुनियादी तालीम को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें से प्रमुख थे–

- बच्चों को सात वर्ष तक राष्ट्रव्यापी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो।
- अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास, जहां तक सम्भव हो, बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से सम्बन्धित हो।

इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण के लिए समिति बनाई गई। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई जिसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम कहा गया। चूंकि इस योजना से खुद गांधी जी जुड़े हुए थे और उन्हें व्यापक विचार–विमर्श के जरिए स्वीकार किया गया था, लिहाजा उसे अगले साल यानी 1938 में हुए हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही तय हो गया कि वर्धा योजना ही राष्ट्रीय शैक्षिक योजना होगी। आजादी से पहले राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने इसे स्वीकार तो किया ही, आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया और 1960 तक इसी तरीके से शिक्षा दी जाती रही। चूंकि शिक्षा शुरू में संविधान में शासन के लिए निर्धारित राज्य सूची में था, लिहाजा केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। चूंकि तब भारत की पहचान गांवों के लिए ही थी, लिहाजा इस पद्धति को ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था का ही आधार बनाया गया। तब से लेकर कमोबेश इसी योजना के आधार पर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था चल रही है।

गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर भी अपनी अवधारणा रखी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को लेकर सचल शौचालय या फिर गड्ढा खोदकर उसमें शौच को मिट्टी से दबाने और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सहूलियतें मुहैया कराने की भी पहल की थी। चूंकि आजादी से पहले भारत में गरीबी कुछ ज्यादा ही थी और संसाधनों की कमी थी, लिहाजा गांधी जी ने तत्कालीन सहूलियतों और जरूरतों के मुताबिक ही साधन और उपाय मुहैया कराए थे। आज भी भारतीय ग्रामीण शिक्षा और शौचालय क्रांति की बुनियाद में गांधी जी की ही सोच है। मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह गांधी जी का चश्मा ही है।

2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब भी करीब 72 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं। राज्य और केंद्र–स्तर पर मनरेगा से लेकर कई तरह की योजनाएं चलाए जाने के बावजूद अब भी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा शहरी आबादी के मुकाबले कम कमाई पर गुजर करने को मजबूर है। हाल में आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में भी शहरी और ग्रामीण आय के बीच इस असमानता को ही रेखांकित किया गया है। 2005 में आई मशहूर अर्थशास्त्री अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट ने यह बताकर चौंका दिया था कि देश के 83 करोड़ लोग अब भी बीस रुपये रोजाना पर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है कि इसमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों के ही थे। जाहिर है कि ऐसे माहौल में सरकारों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ बेहतर कदम उठाए। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योजनाएं बना रखी हैं।

जहां तक ग्रामीण शिक्षा की बात है तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1995 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना को पेश किया था। उन दिनों रिपोर्टें आई थीं कि गरीबी और भूख के चलते खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के बच्चे अपने माता–पिता के साथ कुछ कमाई करने के चक्कर में स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरी ओर खाद्य निगम के गोदामों में पड़ा लाखों टन अनाज हर साल बर्बाद हो रहा था और उसे चूहे खा रहे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने उसी अनाज के जरिए स्कूलों में बढ़ते ड्रॉप आउट को रोकने की योजना बनाई थी और हरियाणा के सूरजकुंड में मिड डे योजना का खाना खुद खाकर इस योजना की शुरुआत की थी। अब तो यह योजना शहरी इलाकों सहित पूरे देश में लागू है और इसकी वजह से खासकर उन घरों के बच्चों का स्कूल आना जारी है, जो खाने की तलाश में अपने माता–पिता के साथ छोटी–मोटी मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। तब से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। 1988 में देश के कुछ जिलों से सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इन्हीं दिनों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षा देने के लिए रात्रिकालीन पाठशाला आदि जैसे उपक्रम शुरू किए गए। बेशक इन योजनाओं को शहरी इलाकों में भी लागू किया गया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके पर ही असर पड़ा। यही वजह है देश का शैक्षिक और साक्षरता को लेकर परिदृश्य लगातार बढ़ रहा है। इन योजनाओं का ही असर है कि 2001 में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत 64.83 था, वह 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया है।

बहरहाल पिछले बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर सरकार ने और जोर देते हुए कई पहल करने की कोशिश की है। इसके तहत जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुदान बढ़ाया है। वहीं इसके

# शिक्षा के क्षेत्र में पहल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल–फिलहाल में अर्जित मुख्य उपलब्धियों में से एक है–स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों के निर्माण के शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति। जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को की गई घोषणा के एक साल के अंदर प्राप्त किया गया। मंत्रालय द्वारा ई–पाठशाला, सारांश, दर्पण और मोबाइल ऐप पर एनसीईआरटी की पुस्तकों की उपलब्धता जैसी कई पहल भी की गई।

सरकार ने गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के बारे में जनता की जरूरतों की बदलती हुई गति को पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने के लिए अच्छे प्रयास किए हैं जिसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त करके भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में मानव श्रम की कमी को दूर किया जा सके। नई शिक्षा नीति का गठन 23 वर्षों के बाद किया जा रहा है।

**पढ़े भारत, बढ़े भारत –** यह अगस्त, 2014 में शुरू किए गए सर्वशिक्षा अभियान का उप–कार्यक्रम है, जिसमें भाषा के विकास में सुधार लाने और गणित में दिलचस्पी पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के दो मुख्य घटक हैं– सूझबूझ के साथ शीघ्र पाठन एवं लेखन और शीघ्र गणित। इस उप–कार्यक्रम के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 456 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे जबकि 2015–16 में 525 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 2015–16 में राष्ट्रीय पठन पहल नामक कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

**विशेष जरूरत वाले बच्चे –** सर्वशिक्षा अभियान के सक्रिय सहयोग से विशेष जरूरत वाले 25 लाख से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में दाखिला दिया गया है। अध्यापकों को कक्षा कार्य और ऐसे बच्चों को पढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा क्लासरूम समावेश के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलता पर सामग्री का विकास किया गया है।

**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम –** 20 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।

**सारांश –** सीबीएसई बोर्ड ने 2 नवम्बर, 2014 को सीबीएसई और उससे संबद्ध स्कूलों में सारांश नामक ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की। इससे प्रत्येक छात्र के स्तर और समेकित स्तर पर उनके कार्य पर नजर रखने में स्कूलों को मदद मिलती है। 04 दिसम्बर, 2015 के अनुसार 16 हजार 298 स्कूल और 911 अभिभावक सारांश के बोर्ड पर हैं। 25 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छठी से दसवीं कक्षा के लिए योग का पाठ्यक्रम जारी किया गया।

**राष्ट्रीय आविष्कार अभियान –** 9 जुलाई, 2015 को शुरू इस कार्यक्रम का उद्देश्यं पहली से बारहवीं कक्षा के स्कूल जाने वाले छात्रों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी जागृत करना है। इस उद्देश्य के लिए पूरे देश में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के क्रम में छात्रों के लिए गणित और विज्ञान क्लबों की स्थापना करना और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास शामिल है।

**स्कूल मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम –** (एनपीएसएसई) 'शाला निधि' देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यापक स्कूल मूल्यांकन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए स्कूल मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएसएसई) की शुरुआत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू की गई। इससे स्कूलों को एक रणनीतिक तरीके से ध्यान देते हुए सुपरिभाषित मानदंड के सापेक्ष कार्य का मूल्यांकन करने में स्कूलों को मदद मिलेगी।

**ई–पाठशाला –** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में ई–पाठशाला का शुभारंभ किया गया जो एनसीईआरटी पाठ्य–पुस्तकों और अन्य् विभिन्नम शैक्षिक संस्थानों से निहित ई–रिसोर्सेज का एकल बिंदु संग्रह है। सीबीएसई नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करता है।

**मिड डे मील योजना –** केंद्र सरकार ने 30 सितम्बर, 2015 को मिड–डे मील नियमावली, 2015 को अधिसूचित किया है। राज्यों में इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा इस नियमावली के प्रभावी अनुपालन से स्कूलों में मिड–डे मील की बेहतर नियमितता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

**स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM)** एक वेबपोर्टल है जिसमें सभी विषयों पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (SWAYAM) उपलब्ध होंगे। 'स्वयं' एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ई–शिक्षा मंच है जिसमें हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म में पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है। (SWAYAM) के आईटी प्लेटफार्म का 31 मार्च, 2016 से परिचालन शुरु होना था। इसमें लगभग 2000 पाठ्यक्रम आयोजित करने की क्षमता होगी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार शुरू किया गया क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल्स एंड एजुकेशन (सीबीसीएस) औपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में बहुआयामी निकास और प्रवेश को अनुमति देने के माध्यम से कौशल का प्रमाणिकरण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे छात्रों को अपने घर पर ही अतिरिक्त कोर्स करने और अपेक्षित क्रेडिट से अधिक अर्जित करने तथा शिक्षा की अंतर विषयी पहुंच अपनाने में मदद मिलेगी। सभी 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2015–16 से सीबीसीएस लागू किया जा चुका है।

**सक्षम छात्रवृत्ति योजना –** तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकलांग छात्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) सक्षम छात्रों की योजना लागू कर रही है। नो योअर कॉलेज पोर्टल (केवाईसी) ई–लर्निंग संसाधनों की संपूर्ण उपलब्धता के साथ छात्रों के लिए सूचित निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। केवाईसी सभी शैक्षिक संसाधनों के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में भी कार्य करता है। 40,000 से भी अधिक उच्च शिक्षा संस्थान केवाईसी से सुसज्जित हैं।

**उन्नत भारत अभियान –** यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने और इसके उपयोग के लिए उच्च शिक्षा और समाज को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था।

**उच्चतर आविष्कार अभियान –** नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आईआईटी को नवाचार के लिए अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने तथा व्यावसायीकरण के स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले समाधान सुझाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उच्चतर आविष्कार अभियान प्रतिवर्ष इन कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

तहत अगले दो साल में अभी तक शामिल नहीं किए गए जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर स्कूल ग्रामीण इलाकों में ही होंगे, जिसका फायदा उन इलाकों के ही छात्र उठा पाएंगे। इस बजट में उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। जिसका निश्चित तौर पर फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान में अगले तीन सालों में 6 करोड़ घरों को शामिल करने जा रही है जिन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के पूरे होने के बाद ग्रामीण भारत में जो डिजिटल क्रांति आएगी, उससे ग्रामीण शिक्षा और संचार का रूप ही बदल जाएगा। इससे गांवों की नई तस्वीर उभरेगी।

ग्रामीण इलाकों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा भी है। खासकर अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए पहली बार 1986 में बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पी.ओ.ए.) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिसके तहत अब 300 की जनसंख्या की बजाय 200 की जनसंख्या हेतु एक कि.मी. की चलने योग्य दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल खोले गए। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यों के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा शुल्क की समाप्ति कर दी गई है। हकीकत में अधिकतर राज्यों ने अनुसूचित जाति–जनजातियों के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया है। इस बीत तेलंगाना राज्य ने हर वर्ग के छात्रों के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। बहरहाल अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, स्टेशनरी, स्कूल बैग इत्यादि भी राज्य मुहैया करा रहे हैं प्रोत्साहन के रूप में।

इसमें 13 दिसंबर, 2002 को पारित संविधान के 86वां संशोधन विधेयक के बाद तेजी आई, जिसके तहत 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में 1999–2004 के दौरान तत्कालीन

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) की शुरुआत की जिसका मकसद प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना था। इसके तहत 6 से 14 साल तक की आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा मुहैया कराना जरूरी था। इसके तहत खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान देना था। इसके तहत स्कूल छोड़कर जा चुकी लड़कियों को स्कूल वापस लाना, उन्हें फ्री में किताबें देना, उनकी कोचिंग आदि की व्यवस्था करना और पचास फीसदी तक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना अहम उद्देश्य था। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रसार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) नाम से भी योजना चलाई जा रही है जिसका फोकस बालिकाओं, अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों आदि की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। एनआईईपीए द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार डीपीईपी जिलों के स्कूलों में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) भी चलाया जा रहा है। जिसके जरिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की मौजूदा योजना के अधीन प्राथमिक स्तर पर कमजोर और पिछड़ी जाति के बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकासखंडों में चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकासखंडों में भी चलाया जा रहा है, जहां कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है। इसी तरह शिक्षाकर्मी कार्यक्रम (एसकेपी) भी चलाया जा रहा है। इसका मकसद बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूरदराज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। इन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षाकर्मी और अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग की बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक तबके की बालिकाओं को सहूलियत दी जा रही है। ऐसे विद्यालय ज्यादातर दुर्गम क्षेत्रों में हैं। इसके तहत 750 विद्यालय खोले जाने हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (ईबीबी) केवल ऐसे विकासखंडों में लागू की जाएगी, जहां महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के इलाके में भी ये विद्यालय खोले गए हैं। कमजोर और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए एक और योजना जनशिक्षण संस्थान के नाम से चलाई जा रही है। इसके तहत लोगों के व्यावसायिक हुनर और निपुणता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर नवसाक्षरों, अर्ध–शिक्षितों, अनुसूचित जाति–जनजातियों, महिलाओं तथा बालिकाओं, मलिन बस्ती निवासियों, प्रवासी श्रमिकों इत्यादि का शैक्षिक, व्यावसायिक विकास करना है। इसके अलावा खासकर पिछड़े इलाकों और उत्तर–पूर्व के राज्यों के करीब 134 जिलों में विशेष साक्षरता अभियान या तो चलाए जा चुके हैं या चलाए जा रहे हैं।

चूंकि शिक्षा के बाद सबके सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का ही होता है। हर हाथ को रोजगार दिए बिना किसी भी देश के विकास की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस तथ्य को सरकारें भी ठीक से समझती हैं। 'स्किल इंडिया' प्रोग्राम रोजगार की तरफ भारतीय युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए ही लागू किया गया है। पिछले बजट में इस पर ध्यान रखा गया है। इसके मुताबिक 'स्किल इंडिया' अभियान के तहत देश भर में 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं जिनके लिए सरकार ने एक हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो नारा ही दे रखा है कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 'उन्नत भारत' योजना इसी का नतीजा है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्राचीर से अपने पहले ही भाषण में की थी। इसी के तहत 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई और उसके द्वारा गोद लिए हर गांव के बहुमुखी विकास की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शुरुआत हुई। 'उन्नत भारत' विकास योजना के ही तहत 22 अक्टूबर 2014 को आईआईटी और दूसरे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और दूसरे तरह के संस्थानों से अपील की गई कि वे भी अपने आसपास के एक–एक गांव को गोद लें। सरकार की अपनी योजनाओं के बावजूद इस तरह की एकल योजनाओं का मकसद भी वही है कि विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की अलख जगाई जाए और इसके जरिए भारत में परिवर्तन की नई अलख जगाई जाए।

प्रधानमंत्री की इस योजना का असर वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश इस बजट में भी दिखा। 2016–2017 के लिए पारित बजट प्रस्तावों में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और

## स्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए कदम

पिछले दो वर्षों में केंद्र ने जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देखकर लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में सरकार सही राह पर चल रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सहूलियतों के मोर्चे पर केंद्र सरकार व्यावहारिक रूख अख्तियार करती नजर आ रही है। मोदी सरकार की सबसे पहली और बड़ी सफलता 'स्वच्छ भारत अभियान' है, जो वास्तव में स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण शौचालयों के निर्माण में तो क्रांति ही आ गई है जिनका स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है। बच्चों के लिए टीकाकरण का 'मिशन इंद्रधनुष' भी इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत सरकार आवश्यक टीकों को समयबद्ध तरीके से लगाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने इसमें कुछ और टीकों को शामिल किया है, जो नए पनपते रोगों से निपटने में काफी प्रभावी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार इस सरकार ने 'बेटी बचाओ' योजना आरंभ की है, जो लैंगिक अनुपात सही करने और लड़कियों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल से संबंधित है।

केंद्र सरकार ने मई 2015 में बेहद सस्ती जीवन बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजनाएं आरंभ की। वहीं बजट 2016–17 में सरकार गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल) परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत प्रतयेक परिवार को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वहीं घर के बुजुर्ग यानी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार रुपये का अतिरिक्त टॉपअप पैकेज दिया जा रहा है। चाहे शहरी आबादी हो या फिर ग्रामीण आबादी, ज्यादातर लोगों के लिए महंगी दवाइयों का भार उठाना आसान नहीं है। ऐसे हालात से निबटने और निम्न आयवर्ग के लोगों को इस मोर्च पर राहत देने के लिए सरकार ने 2016–17 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ती दवाएं जरुरतमंद लोगों को मुहैया कराने के लिए सस्ती दवाओं के 3 हजार स्टोर खोलने का लक्ष्य तय किया है जिसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाके में ही होंगे।

सरकार ने 'आयुष' विभाग के माध्यम से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने और प्रसारित करने का भी काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि अभी अत्याधुनिक अथवा बड़े अस्पताल नहीं हैं और चिकित्सकों की भी कमी है तो वहां आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धतियों से प्रभावी और किफायती उपचार हो सकता है। सरकार की इस मुहिम का वास्तविक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को ही मिलेगा। योग शिक्षा को बढ़ावा देना भी सरकार का लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की मुहिम का हिस्सा है। योग प्रोत्साहन और बढ़ावा देने से आम जन न केवल स्वास्थ्य लाभ ले सकता है बल्कि दीर्घकाल तक स्वस्थ और संयमित जीवन जी सकता है।

स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया है। स्किल इंडिया को बढ़ावा देने और लोगों को मल्टी स्किल ट्रेनिंग संस्थान खोलने की योजना को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए धन भी मुहैया कराया जा रहा है।

अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सहूलियतों की। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सहूलियतें बढ़ाने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। इसका मकसद 2012 तक ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सहूलियतें बढ़ाना, खासकर कमजोर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, एंबुलेंस सेवा और गरीबों तक दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। बाद में इसकी जरूरत शहरी इलाकों में भी महसूस की गई, जिसके लिए शहरी स्वास्थ्य मिशन भी बनाने का प्रस्ताव आया। लिहाजा 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया और उसके तहत शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नाम से दो योजनाएं चल रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मकसद स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, स्वास्थ्य सेवाओं में एनजीओ की सहायता लेना, एम्बुलेंस और उपकरणों का इंतजाम करने में राज्यों को मदद देना है। इसके तहत अब एक और योजना भी 2011 से चल रही है। इसे जननी–शिशु सुरक्षा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत नवजात बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य का खयाल रखा जाता है और उन्हें जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। इसी तरह सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चला रखा है जिसका मकसद बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराना है। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं। लिहाजा केंद्र सरकार राष्ट्रीय–स्तर पर योजनाएं बना तो सकती है लेकिन उन्हें राज्यों के मार्फत ही लागू किया जा सकता है।

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। टीवी पत्रकारिता के अलावा स्तंभ लेखन और भारतीय जनसंचार संस्थान समेत कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में अध्यापन। वर्तमान में लाइव इंडिया न्यूज चैनल में कार्यरत हैं।)**
**ई–मेलः uchaturvedi@gmail-com**

# गांवों में खुशहाली लाएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार

—गायित्री दुबे

**पूरे देश को एक मंडी क्षेत्र में बदलने की सरकार की योजना दरअसल 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुना करने की रूपरेखा का हिस्सा है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि बाजार 'नाम' की राह उतनी आसान नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। सबसे बड़ी बाधा कृषि उपज के वजन, ग्रेडिंग और मानकीकरण के नेटवर्क की कमी की है। उल्लेखनीय है कि देश में उपज की क्वालिटी में अंतर के कारण कीमतों में भारी अंतर पाया जाता है।**

देश में उदारीकरण—भूमंडलीकरण की शुरुआत हुए पच्चीस साल हो गए। इस दौरान उद्योग—व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ई—कॉमर्स जैसे सैकड़ों उपाय किए गए लेकिन कृषि उपजों का कारोबार 'जहां का तहां' वाली स्थिति में ही है। इसी का नतीजा है कि जूता—चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना ही पड़ता है और इसी का परिणाम है कि जो प्याज किसानों से पांच रुपये किलो खरीदा जाता है उसके लिए उपभोक्ता 30 रुपये किलोग्राम की कीमत चुकाता है। कई बार तो किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य—प्रदेश की नीमच मंडी में प्याज की थोक कीमत 30 पैसे प्रति किलो चल रही है तो महानगरों में वही प्याज बीस से पच्चीस रुपये किलो बिकता है। यही कारण है कि कई बार किसान उपज को बाजार में बेचने की तुलना में फसल को घर में पड़े—पड़े सड़ते देखना बेहतर समझता है। यही घाटे की खेती कई बार किसानों की जान तक ले लेती है। समग्रता में देखें तो खेती—किसानी की बदहाली, गांवों की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन का एक बड़ा कारण खेती का घाटे का सौदा होना है।

लेकिन अब यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या नाम) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक मंडी या ई—मंडी की शुरुआत कर दी है। ई—मंडी प्लेटफॉर्म पर देश भर के किसान व कारोबारी कृषि उपज की खरीद—बिक्री कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में

आठ राज्यों की 21 थोक मंडियों में 25 कृषि उपजों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से देश की सभी मंडियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ने की है। इसके तहत इस साल सिंतबर तक 200, मार्च 2017 तक 200 और शेष 185 मंडियों को मार्च 2018 तक इस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली मंडी को केंद्र सरकार 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों को अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कानून संशोधित करना होगा ताकि राज्य में कारोबार के लिए एक लाइसेंस ही वैध हो, बाजार शुल्क की एक जगह पर वसूली हो और कीमतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान किया जा सके।

उल्लेरखनीय है कि कृषि उपजों के कारोबार में सबसे बड़ी बाधा 1953 में बना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कानून है। इसके तहत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों (आढ़तियों) का सहारा लेना ही होगा। इस कानून के कारण न तो नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं और न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता है। आज जिस देश में हर गली–कूचे में मोबाईल व बाइक शोरूम खुले हैं उसी देश में औसतन 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मंडी है। इन मंडियों को भी अलग–अलग लाइसेंस की जरूरत होती है और उनकी फीस भी अलग–अलग होती है। फिर तकनीक के कम इस्तेमाल के चलते कारोबार में पारदर्शिता नहीं होती। यही कारण है कि इस कानून के तहत गठित बाजार समितियां राज्य सरकारों के लिए राजस्व उगाही का जरिया बन चुकी हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों व फलों पर एपीएमसी से पंजाब को सालाना 350 करोड़ और हरियाणा को 200 करोड़ रुपये की आय होती है। यही कारण है कि राज्य सरकारें कृषि उत्पादों की बिक्री में लाइसेंस परमिट राज बनाए रखना चाहती हैं। कृषि उपजों के कारोबार में बिचौलियों के बढ़ते वर्चस्व का ही नतीजा है कि जहां 1950–51 में उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का 89 प्रतिशत हिस्सा किसानों तक पहुंचता था वहीं आज यह अनुपात घटकर 34 प्रतिशत रह गया है। आज उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का 66 प्रतिशत उन नकली किसानों (बिचौलियों) की जेब में जा रहा है जो कभी खेत में गए ही नहीं। यदि पूरे देश के पैमाने पर देखें तो यह रकम सालाना 20 लाख करोड़ रुपये आएगी। यह रकम वालमार्ट के कुल सालाना कारोबार 21 लाख करोड़ रुपये से थोड़ी ही कम है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2003 में एपीएमसी कानून में संशोधन कर मॉडल एपीएमसी कानून बनाया था। यह कानून निजी व कॉरपोरेट घरानों को विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है। इसमें थोक विक्रेताओं व आढ़तियों के नेटवर्क को खत्म करने का प्रावधान भी है। लेकिन राजस्व नुकसान और आढ़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते मार्च 2016 तक मात्र 14 राज्यों ने ही अपने एपीएमसी कानून में संशोधन किया है। यहां कुछ के प्रयासों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। आंध्र प्रदेश ने राज्य भर में चुनिंदा स्थानों पर "रैयत बाजार" की स्थापना की जहां किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेच सकते हैं। एक प्रयास आईटीसी द्वारा "ई–चौपाल" की स्थापना करके किया गया जिसने इंटरनेट के माध्यम से किसानों को यह सुविधा दी कि वे अपनी उपज को सीधे सुपर मार्केट में बेच सकते हैं। आज नौ राज्यों के 50 लाख किसान इससे जुड़े हैं। इसी प्रकार डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड का "हरियाली किसान बाजार" का हर आउटलेट 200 से 250 कामगारों को नौकरी देता है और इनमें से ज्यादातर की नियुक्ति स्थानीय इलाकों से होती है।

उल्लेखनीय है कि एपीएमसी कानून मुक्त व्यापार में बाधक होने के साथ–साथ महंगाई को खाद–पानी देने का काम करता है क्योंकि इससे कृषि उत्पादों की आवाजाही की लागत बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में वस्तुओं के परिवहन और स्थानीय करों की वजह से इनकी कीमत

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों से आयातित वस्तुओं की तुलना में कहीं ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार कृषि उत्पादों को पंजाब से मुंबई ले जाने पर वे यूरोपीय संघ से आयात की तुलना में 40 प्रतिशत और थाईलैंड के मुकाबले 250 प्रतिशत महंगे हो जाते हैं। तटीय राज्यों में आयातित खाद्यान्नों, फलों व सब्जियों के बढ़ने का कारण यही है।

कृषि उपजों के कारोबार के पिछड़े होने के चलते ही किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। खेती–किसानी की बदहाली की सबसे बड़ी वजह यही है। इसी को देखते हुए सरकार ई–मंडी कानून को बहुस्तरीय बना रही है। सरकार जानती है कि सॉफ्टवेयर पर आधारित होने की वजह से ई–प्लेटफॉर्म पर मानकीकृत जिंसों का ही व्यापार किया जा सकता है। इसलिए बाकी उपज के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की जगह राज्य कृषि बाजार (स्टेट एग्रीकल्चार मार्केट यानी साम) को क्रियान्वित किया जाएगा। इसे पहली बार कर्नाटक में लागू किया है। इसके तहत किसान ई–प्लेटफॉर्म के रूप में व्यापार करने वाली इस मंडी में आते हैं। किसानों और व्यापारियों के बीच सदस्यों के रूप में आढ़ती–बिचौलिये भी होते हैं। मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा अपनी उपज को श्रेणी, गुणवत्ता और स्तर को प्रमाणित कराने के बाद किसान उस मंडी में अपनी उपज की बिक्री करते हैं जहां सबसे अच्छी कीमत मिलती है। सौदा होने के बाद नेटवर्क से जुड़े बैंकों से उनका भुगतान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कर्नाटक में किसानों की पहुंच अधिक खरीदारों, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और फुटकर दुकानदारों तक हुई। इससे किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी।

ऑनलाइन व्यापार तक आसान पहुंच से किसानों की आय बढ़ेगी, बाजार में उत्पादों की बेहतर उपलब्धता होगी जिससे कीमतों में कमी आएगी। पूरे देश को एक मंडी क्षेत्र में बदलने की सरकार की योजना दरअसल 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुना करने की रूपरेखा का हिस्सा है। लेकिन 'नाम' की राह उतनी आसान नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। सबसे बड़ी बाधा कृषि उपज के वजन, ग्रेडिंग और मानकीकरण के नेटवर्क की कमी की है। उल्लेखनीय है कि देश में उपज की क्वालिटी में अंतर के कारण कीमतों में भारी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले साल मई महीने में देश की विभिन्न मंडियों में ज्वार की कीमतों में 282 प्रतिशत तक का अंतर रहा। यदि एक ही राज्य के भीतर कीमतों में उतार–चढ़ाव की बात करें तो कर्नाटक की विभिन्न मंडियों में ज्वार की कीमतों में 110 प्रतिशत तक अंतर रहा है। यही स्थिति दूसरी फसलों की भी है। कुदरती आपदाओं के कारण उपज की गुणवत्ता में अंतर और भी बढ़ जाता है। स्पष्ट है मंडियों को आधुनिक बनाए बिना राष्ट्रीय कृषि बाजार व राज्य कृषि बाजार (नाम–साम) कामयाब नहीं होंगे। बिहार व केरल में मंडी कानून न होना एक समस्या है। इसी तरह क्वालिटी पर विवाद होने की दशा में इसका समाधान कैसे किया जाएगा और गारंटी पार्टी कौन होगा जैसे सवाल भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ी बाधा यह है कि क्या आढ़तियों और जमाखोरों की मजबूत राजनीतिक लॉबी राज्य सरकारों को मंडी आधुनिकीकरण करने देगी? इसी तरह की एक बाधा छोटे किसानों को ई–मंडी से जोड़ने की भी है। उल्लेनखनीय है कि देश में 85 प्रतिशत किसान लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। गांवों में कंप्यूटर–इंटरनेट की सीमित पहुंच और निरक्षरता भी राष्ट्रीय कृषि बाजार में बाधा खड़ी करेंगी। इन्हीं बाधाओं के चलते योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

समग्रत : देश भर में बिखरे कृषि विपणन ढांचे को एकीकृत करके आधुनिक व पारदर्शी बनाना आसान काम नहीं है। इसमें धीरे–धीरे ही कामयाबी मिलेगी लेकिन एक बार कामयाब होने पर यह योजना खेती–किसानी और गांवों की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी।

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)**
**ई–मेलः gayatri2022@gmail.com**

## पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

| क्रम सं. | पत्रिका का नाम | एक प्रति का मूल्य | विशेषांक का मूल्य | वार्षिक शुल्क | द्विवार्षिक शुल्क | त्रिवार्षिक शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | योजना | 22 | 30 | 230 | 430 | 610 |
| 2. | कुरुक्षेत्र | 22 | 30 | 230 | 430 | 610 |
| 3. | आजकल | 22 | 30 | 230 | 430 | 610 |
| 4. | बालभारती | 15 | 20 | 160 | 300 | 420 |
| 5. | रोजगार समाचार | 12 | – | 530 | 1000 | 1400 |

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

# समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

**जीवन में स्वच्छता का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह एक अच्छी मानवीय आदत है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर वर्ष लाखों लोग ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता था अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। इसी के मद्देनजर सरकार 'स्वच्छ भारत' मिशन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। लेकिन सरकार अकेले इसे हासिल नहीं कर सकती। हम सबको अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें न केवल खुद 'स्वच्छ भारत' के लिए कार्य करना होगा बल्कि औरों को भी प्रेरित करना होगा। इस दिशा में 'कुरुक्षेत्र' द्वारा 'स्वच्छता सैनानी' नाम से यह नया स्तंभ शुरू किया जा रहा है। इस स्तंभ के जरिए 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत देश भर में हो रहे कार्यों को पाठकों तक पहुंचाया जाएगा। सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे इन सफलता की मिसालों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।**

छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है जिसकी स्थापना मध्यप्रदेश का विभाजन करके वर्ष 2000 में की गई थी। राज्य ने समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) की पॉलिसी को अपनाया है जिसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति पाना है। इसके अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त गांवों पर ध्यान दिया जा रहा है, और सामुदायिक उपागम के माध्यम से गांव को खुले में शौच से मुक्त होने के बाद इसने पूरे समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए जिलों को लचीलापन प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप राज्य के 1123 गांव खुले में शौच से मुक्त बन चुके हैं। राजनंदगांव जिले का एक पूरा खण्ड खुले में शौच से मुक्त बन चुका है। योजना शुरू होने के बाद के नौ महीनों की अवधि में ही 1.60 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते थे। वर्ष 2012–13 के बेस लाइन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 10,32,000 शौचालय निष्क्रिय थे। पहले के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों में से लगभग आधे खराब हालत में पाए गए।

उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य में स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण उपागम के प्रतिमान को प्रयोग करना अनिवार्य था। समुदाय आधारित उपागम को शुरू में दो जिलों– राजनंदगांव और रायगढ़ में अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत जिले की टीमों को प्रशिक्षित संगठन द्वारा सहायता प्रदान की गई। इस सफलता के आधार पर राज्य ने सीएलटीएस मॉडल को चिरस्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए राज्य पॉलिसी के रूप में अपनाया। इस उपागम का उद्देश्य शौचालयों के निर्माण के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति जागरुकता पैदा करके, खुले में शौच जाने के कलंकित व्यवहार के बारे में जागरुकता पैदा करना और इस लक्ष्य के कार्यान्वयन द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करके गांव के समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना था। प्रशासन की भूमिका एक सहायक की थी जिसने लोगों को प्रशिक्षण दिया और सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

### राज्य में स्वच्छता के लिए प्रमुख पहल

- लागू करने और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत की अपेक्षा गांव को एक इकाई के रूप में चुना गया है।
- गांव के स्तर पर सामाजिक लामबंदी गतिविधियां/प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। लाभ प्राप्तकर्ता या गांव की जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति (वीडबल्यूएससी) को कोई अग्रिम वित्त प्रदान नहीं किया जाता है।
- समुदाय/व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में तीन प्रतिमानों को अपनाया गया है। ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) होने के बाद और इसे तीन महीने तक बनाए रखने के लिए या तो पूरे समुदाय को या एक परिवार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यदि वे एक शौचालय का निर्माण करते हैं और उसे तीन महिने तक प्रयोग करते हैं अगर परिवार वंचित समुदाय से है तो उसे प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम प्रदान किया जा सकता है।

- शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में बताने की अपेक्षा समुदाय को खुले में शौच जाने के जोखिम और स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव को समझाने का प्रयास किया जाता है।
- राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम पंचायत–स्तर पर नवरत्नों (नौ जाने माने लोगों) को चुना जाता है ताकि वे सामुदायिक लीडरों के रूप में प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकें।
- निगरानी समिति का निर्माण किया जाता है जिसमें स्वाभाविक नेता/गांव के सक्रिय लोगों को शामिल किया जाता है। ओडीएफ की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए बच्चों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।
- जल और स्वच्छता के लिए संयुक्त कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- सभी चुने हुए प्रतिनिधियों और आंगनवाड़ी कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, ग्राम पंचायत सचिव, शिक्षकों आदि के लिए शौचालयों को अनिवार्य बनाया गया है।
- नव चयनित नेताओं को "स्वच्छता शपथ" दिलाई जाती है।
- ओडीएफ गांवों में दूसरी विकास योजनाओं को वरीयता दी जाती है।
- सीएलटीएस को लागू करने में सभी हिस्सेदारों की क्षमता बढ़ाने का उपाय अपनाया जाता है।
- लाभार्थी की इच्छा और गांव की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार शौचालय की तकनीकी का चयन करने में लचीलापन प्रदान किया जाता है।
- आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट सेनिटरी सामान के उद्यमियों के साथ संबंधों का विकास किया जाता है।

**निगरानी:** इंजीनियरों द्वारा गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। शौचालय के प्रयोग और चिरस्थायित्व की निगरानी रालू (रैपिड एक्शन एण्ड लर्निंग यूनिट) की तीसरे पक्ष की व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। रालू स्वास्थ्य परिणामों पर आधारित अध्ययन के माध्यम से प्रभावों की निगरानी भी करता है। ओडीएफ की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित निगरानी का विकास भी किया जाता है।

## पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले को 30 अप्रैल 2015 को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया–जो यूएन लोक सेवा पुरस्कार 2015 का विजेता है।

नदिया जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 15 जुलाई 2013 को एक अभियान की शुरुआत की गई जिसके परिणामस्वरूप नदिया जिले में 30 अप्रैल, 2015 को सभी 89 ग्राम पंचायतें 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त हो गई। इसके फलस्वरूप स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से नदिया खुले में शौचमुक्त पहला जिला बन गया।

2013 में नदिया में 3,09,881 परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा नहीं थी और वे खुले में शौच जा रहे थे। व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए एक कार्यनीति बनाई गई, स्वच्छता के लिए शौचालयों की सार्वभौमिक उपलब्धता का प्रावधान किया गया और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

### खुले में शौचमुक्त नदिया के आधारभूत अंग

- बेस लाइन सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण, सघन नियोजन गतिविधियां।
- समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण।
- मानव संसधान के विकास में प्रोत्साहन, विशेष रूप से राजमिस्त्रियों के कौशलों का विकास एवं सेवा प्रदान करने की प्रणाली को मजबूत बनाना और इसमें हिस्सेदारों को शामिल करना।
- अभिसरण, समन्वय और निगरानी–जिला परिषद और जिला प्रशासन।
- ग्राम पंचायतों को अभियान को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य बिंदु बनाया गया।
- ग्रामीण स्वच्छता बाजार (आरएसएम) ने सामग्री प्रदान की। स्वयंसहायता समूहों का भी प्रयोग किया गया।

स्कूलों में शपथ अभियान के माध्यम से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया। विद्यार्थियों को परिवर्तन के अभिकरणों के रूप में प्रयोग किया गया। प्रोत्साहन के लिए स्वयंसहायता समूहों को भी प्रयोग किया गया। चिकित्सकों को रोगियों को शौचालय और स्वच्छ व्यवहार अपनाने की सलाह देने के लिए कहा गया। विभिन्न हिस्सेदारों की क्षमता को बढ़ाया गया–जैसे शिक्षक, स्वयंसहायता लीडर, आरएसएम, राजमिस्त्री आदि। आईईसी/ बीसीसी अभियान जोर–शोर से चलाए गए जैसे मिनी मैराथन, हॉट एयर बैलून, 122 किमी. लम्बी मानव श्रृंखला जिसमें पूरे जिले के 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती में पाड़ा–नज़रदारी समितियों का भी निर्माण किया गया।

इस अभियान के फलस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया और 2013 की तुलना में 2015 में दस्त से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की गिरावट पाई गई।

**(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सौजन्य से)**

**आगामी अंक**

**जुलाई, 2016 – ग्रामीण भारत के लिए विज्ञान और तकनीक**

# प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

*प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करते हुए। साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रामनायक और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्रा भी हैं।*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में गरीबी–रेखा से नीचे के पांच करोड़ लाभार्थियों को रसोईगैस के कनेक्शन प्रदान करना है।

एक मई श्रमिक दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सदी में, दुनिया के सभी श्रमिकों का प्रयास विश्व को एकजुट करने की दिशा में होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केन्द्र सरकार का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों के कल्याण पर केन्द्रित रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक नई और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने के साथ–साथ उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी–रेखा के नीचे के परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। वित्तवर्ष 2016–17 के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इस योजना की विशेषता यह है कि इसके तहत एलपीजी कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे।

8000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ इस योजना को अगले तीन सालों तक चलाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए "Give-it-Up" अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए करोड़ों रुपये उपयोग में लाए जाएंगे। "Give-it-Up" अभियान के बाद से अब तक 1.13 करोड़ से अधिक लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है।

योजना के अंतर्गत सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। ऐसा पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है जिससे देश के करोड़ों गरीब परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा।

# महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल

## बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

### बहु–क्षेत्रीय प्रयास

**महिला और बाल विकास मंत्रालय**
- एडवोकेसी
- ट्रेनिंग
- संस्थाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पुरस्कार
- सामुदायिक पहल

**शिक्षा मंत्रालय**
- शत–प्रतिशत नामांकन
- स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी
- बालिका–अनुकूल विद्यालय
- शिक्षा का अधिकार सख्ती से लागू

**स्वास्थ्य मंत्रालय**
- कानूनों का क्रियान्वयन
- संस्थागत प्रसव में वृद्धि
- निगरानी समितियों का गठन
- जन्म पंजीकरण

- 6 दिन में 4.5 करोड़ SMS
- 139 टीवी चैनलों में 5 विज्ञापन
- रेलवे पूछताछ 139 के जरिए 90 लाख कॉल करने वालों तक पहुंच
- 8756 फील्ड पब्लिसिटी प्रोग्राम
- 148 स्टेशनों के जरिए 28 रेडियो स्पॉट्स

## कौशल, रोजगार एवं सशक्तीकरण

भारतीय महिलाएं उन्नति की ओर

### दीनदयाल अंत्योदय योजना

* ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए महिला स्वयं – सहायता समूहों का गठन
* 3045 प्रखंडों के 1,76,414 गांवों में 26 लाख स्वयंसहायता समूहों का विस्तार

### स्टैंड अप इंडिया

* अनु.जाति/ अनु.जनजाति की महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा
* 500 करोड़ रु का आबटन

### प्रशिक्षण

* 2015–16 में सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 7247 महिलाओं को प्रशिक्षण
पिछले दो सालों में एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत 2.69 लाख लोगों को प्रशिक्षण, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं।

### रोजगार

* 2015–16 में मनरेगा में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी, 55% श्रमिक महिलाएं।
* मिड–डे मील में खाना पकाने (कुक) और सहायक के रूप में 25.74 लाख लोग कार्यरत, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल।

## महिला ई–हाट

महिला उद्यमियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म

- 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए
- मोबाइल आधारित प्रोफाइल प्रबंधन
- दिसंबर 2016 तक कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं
- खरीदारों से उद्यमियों को सीधे भुगतान
- शुरुआत में ही दस हजार स्वयंसहायता समूह पंजीकृत जिनमें सवा लाख महिलाएं

| उत्पाद | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कपड़े | ज्वैलरी | पॉटरी | ग्रोसरी |
| | बैग | गृह सज्जा | कालीन | स्टेशनरी |